



INDIA NON JUDICIAL



44

Government of Uttar Pradesh

IN-UP19557364532058V

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP19557364532058V
 Certificate Issued Date : 20-Sep-2023 04:51 PM
 Account Reference : NEWIMPADC (SV) up14148004/ SOHAWAL/ UP-FZB
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1414800434718150609452V
 Purchased by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Description of Document : Article 23 Conveyance
 Property Description : GATA NO-209 MAUJA-FITTOZPUR UFAHAR PAR-MAGALSI TEH-SOHAWAL DIST-T-AYODHYA
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : RABIYA BANO UHFRAJYA BEGAM WO NAUSHAD
 Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 96,900
 (Thirty Six Thousand Nine Hundred And Sixty only)




 रबीया बेगम


 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

0007065804



INDIA NON JUDICIAL



49

Government of Uttar Pradesh

IN-UP20460655619334V

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP20460655619334V

Certificate Issued Date : 21-Sep-2023 02:04 PM

Account Reference : NEWIMPAGO (SV) up14148004/ SOHAWAL/ UP-F2B

Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1414800435446571507962V

Purchased by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA

Description of Document : Article 23 Conveyance

Property Description : GATA NO-104 MAUJA-FIROZPUR UPARHAR PAR MAGALSI TEH SOHAWAL DISTT-AYODHYA

Consideration Price (Rs.) :

First Party : SHOBHA DEVI W/O UMA SHANKAR AND OTHERS

Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA

Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA

Stamp Duty Amount (Rs.) : 2,19,500
(Two Lakh Thirteen Thousand Five Hundred only)



शोभा देवी

उमाशंकर

शिवप्रसाद

विमलेश कुमार

शिव

विमलेश कुमार

शिवप्रसाद

Handwritten signature and stamp

उप निदेशक
आयुध्या विकास प्राधिकरण, आयुध्या

0007065815





निका शोभादेवी

3 भाग

महेश्वरी

सुरेश कुमार


2 भाग



रविन्द्र कुमार



रविन्द्र कुमार



सुरेश कुमार



अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

विक्रय पत्र
कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में राशय विकास हेतु अशिष्ट कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु अग्नित भूमि का निम्न बंधकों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निम्नलिखित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम - फिरोजपुर उपरहार, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल, अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण-

गाटा संख्या	गाटा की यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
104	1662690104000012	0.2080

- 5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल 0.13233 हेक्टर
- 6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
104	0.13233	गाटा सं - 103	गाटा सं - 105	गाटा सं - 102	चरमार्ग गाटा सं 118

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

शोभादेवी
रविन्द्र कुमार
सुरेश कुमार
रविन्द्र कुमार



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

भादा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का (रु० हेक्टर) (मकिल दर का 4 गुना)	प्रतिफल की धनराशि
1	2	3	4		7	8
104	0.13233	रोना देवी	उनाशंकर	0.06933	1525260.00	1525260.00
104	0.13233	उनाशंकर	विश्वकर्मा	0.00990	217800.00	217800.00
104	0.13233	इनामती	विश्वकर्मा	0.00990	217800.00	217800.00
104	0.13233	सर्वेन्द्र कुमार	विश्वकर्मा	0.00990	217800.00	217800.00
104	0.13233	सुरेन्द्र कुमार	विश्वकर्मा	0.00990	217800.00	217800.00
104	0.13233	अजीत उर्फ अजीत विश्वकर्मा	विश्वकर्मा	0.00990	217800.00	217800.00
104	0.13233	जितेन्द्र उर्फ जितेन्द्र विश्वकर्मा	विश्वकर्मा	0.00990	217800.00	217800.00
104	0.13233	रवीन्द्र कुमार	विश्वकर्मा	0.00990	217800.00	217800.00
			योग		3049860.00	

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 213500.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
रोना देवी	उनाशंकर	713566524401		8188803694	घरणी	फिरोजपुर उपखण्ड सोहावल अयोध्या।
उनाशंकर	विश्वकर्मा	895576188179	QJEP58662D	8188803694	गजदूरी	फिरोजपुर उपखण्ड सोहावल अयोध्या।
इनामती	विश्वकर्मा	260682773025	CGOPG5956R	7275300872	घरणी	फिरोजपुर उपखण्ड सोहावल अयोध्या।
सर्वेन्द्र कुमार	विश्वकर्मा	303910178656		8128780038	गजदूरी	फिरोजपुर उपखण्ड सोहावल अयोध्या।
सुरेन्द्र कुमार	विश्वकर्मा	352456080475	GSLPK2030P	9651055414	गजदूरी	फिरोजपुर उपखण्ड सोहावल अयोध्या।
अजीत उर्फ अजीत विश्वकर्मा	विश्वकर्मा	430759071545	BEEP4227B	7600281058	गजदूरी	फिरोजपुर उपखण्ड सोहावल अयोध्या।
जितेन्द्र उर्फ जितेन्द्र विश्वकर्मा	विश्वकर्मा	783161272265	JWGP5321D	8400577606	गजदूरी	फिरोजपुर उपखण्ड सोहावल अयोध्या।

उपस्थित अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including names like 'अजय' and 'विश्वकर्मा'.

Handwritten text in the top right corner, possibly a date or page number, including the number '10'.



रजि. नं. कुमार	दस्तावेज नं.	528844833490		9453385181	मजदूरी	फिरोजपुर उपरदार सोहवाल (अयोध्या)
-------------------	--------------	--------------	--	------------	--------	--

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नानित स्वर्णिम राज उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार		AAALA0206C	7607778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादोत्पन्न है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी झुट्टि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 / 1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये रामझोते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला रामझोता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।

उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या


म. उ. श. कुमार

अभिषेक कुमार

अजय

क. श. शर्मा

Handwritten notes in the top right corner, including the number "10" and some illegible characters.



अ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, UCPRO के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा गुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।

अ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

12- भुगतान का विवरण -

क्र 0	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम/ शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	गोला बेगी	उमाशंकर	एच डी एफ सी बैंक अयोध्या।	HDFC0008616	50100639740646	1525280.00
2	उमाशंकर	विश्वकर्मा	एच डी एफ सी बैंक अयोध्या।	HDFC0008616	50100628174795	217800.00
3	जानगी	विश्वकर्मा	एच डी एफ सी बैंक अयोध्या।	HDFC0008616	50100628174578	217800.00
4	रमेश कुमार	विश्वकर्मा	एच डी एफ सी बैंक अयोध्या।	HDFC0008616	50100628174565	217800.00
5	सुरेश कुमार	विश्वकर्मा	एच डी एफ सी बैंक अयोध्या।	HDFC0008616	50100628174782	217800.00
6	अर्पिता उर्फ अजीत विद्यकर्मा	विश्वकर्मा	एच डी एफ सी बैंक अयोध्या।	HDFC0008616	50100624686761	217800.00
7	मिनेन्द्र उर्फ विवेक विद्यकर्मा	विश्वकर्मा	एच डी एफ सी बैंक अयोध्या।	HDFC0008616	50100624686758	217800.00
8	रविन्द्र कुमार	विश्वकर्मा	एच डी एफ सी बैंक अयोध्या।	HDFC0008616	50100639741011	217800.00
				Total		3049860.00

कुल धनराशि शब्दों में- (तीस लाख उन्चास हजार आठ सौ साठ रुपये मात्र)

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को बुद्धिगम अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बराह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की शक्ति बसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने

उपर लिखित
 विकास प्राधिकरण, अयोध्या

2





100



100

(8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।

(i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।

(ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।

(iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
00133	104	0.06933		1525260.00	-	-
00133	104	0.00990		217800.00		
00133	104	0.00990		217800.00		
00133	104	0.00990		217800.00		
00133	104	0.00990		217800.00		
00133	104	0.00990		217800.00		
00133	104	0.00990		217800.00		
00133	104	0.00990		217800.00		

भूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता
08	09	10	11		
		1525260.00	श्रीगं देवी	उनाशंकर	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।
		217800.00	विश्वकर्मा	विश्वकर्मा	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।
		217800.00	श्रीमती	विश्वकर्मा	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।
		217800.00	धर्मेश कुमार	विश्वकर्मा	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।
		217800.00	सुरेश कुमार	विश्वकर्मा	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।

सत्य प्रियंवद
 सत्य प्राधिकरण, अ

आवेदन सं०: 202300904007479

विक्रय पत्र


बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6124

वर्ष: 2023

प्रतिफल- ॥ स्ताम्प शुल्क- 50960 बाजारी मूल्य - 728000 पंजीकरण शुल्क - 7280 प्रतिशोधितकरण शुल्क - 80 योग: 7300

श्री अयोध्या विक्रय प्राधिकरण द्वारा
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी प्रतिनिधि,
पुत्र श्री शरद कुमार
प्रावसाय: नौकरी
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।



स्वर्णिम राज अधिकृत
पदाधिकारी प्रतिनिधि

श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा


ने यह लेखपत्र दस कार्यालय में दिनांक 21/09/2023 एवं
05:14:58 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र
उप निबंधक, सोहावल
अयोध्या
21/09/2023

निबंधक शिपिक
21/09/2023

प्रिंट करें



	217800.00	अजीत ठरु अजीत विश्वकर्मा	विश्वकर्मा	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।
	217800.00	जितेन्द्र ठरु जितेन्द्र विश्वकर्मा	विश्वकर्मा	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।
	217800.00	रवीन्द्र कुमार	विश्वकर्मा	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।

नोट :- मैने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।


• भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	शाना देवी	उमाराकर	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	
2	उमाराकर	विश्वकर्मा	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	उमाराकर
3	ज्ञानमती	विश्वकर्मा	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	
4	धर्मन्द्र कुमार	विश्वकर्मा	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	धर्मन्द्र कुमार
5	सुरेन्द्र कुमार	विश्वकर्मा	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	सुरेन्द्र कुमार
8	अजीत ठरु अजीत विश्वकर्मा	विश्वकर्मा	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	Ajeet
7	जितेन्द्र ठरु जितेन्द्र विश्वकर्मा	विश्वकर्मा	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	जितेन्द्र विश्वकर्मा
9	रवीन्द्र कुमार	विश्वकर्मा	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	रवीन्द्र कुमार

उपस्थित
सोहावल विकास प्रौद्योगिकी अयोध्या

उमाराकर, धर्मन्द्र कुमार, सुरेन्द्र कुमार, Ajeet, रवीन्द्र कुमार, जितेन्द्र विश्वकर्मा, अजीत विश्वकर्मा, रवीन्द्र कुमार

श्री जितेन्द्र उर्फ: जितेन्द्र विश्वकर्मा, पुत्र श्री विश्वकर्मा
निवासी: फिरोजपुर उपरदार तहसील सोहावल अयोध्या
व्यवसाय: व्यापार **जितेन्द्र विश्वकर्मा**
विक्रेता: 8



श्री रवीन्द्र कुमार, पुत्र श्री विश्वकर्मा
निवासी: फिरोजपुर उपरदार तहसील सोहावल अयोध्या
व्यवसाय: व्यापार **रविन्द्र कुमार**
क्रेता: 1



श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री
शरद कुमार
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या
व्यवसाय: नौकरी
ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनके प्रधान
पहचानकर्ता : 1



श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबती प्रसाद
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या
व्यवसाय: नौकरी
पहचानकर्ता : 2



श्री हृदयराम, पुत्र श्री राम चंद्र यादव
निवासी: फिरोजपुर उपरदार तहसील सोहावल अयोध्या
व्यवसाय: व्यापार **हृदय राम**



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र सक्षियों के निबन्ध अंगुठे नियमानुसार
लिपि गए हैं।
दिनांक:

AD
प्रदीप कुमार प्र
उप निर्देशक: सोहावल
अयोध्या
21/09/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या
21/09/2023



गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
अमि प्रकाश	रवो राजबली प्रसाद	7697778903	नीकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	

गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
इन्दर टाग	रामचन्द्र यादव	8935353165573	दिक्नेर	किरीचपुर लपरहार साहायल अयोध्या।	रामचन्द्र


 क्रम निकाय कर्मचारी से अधिकृत,
 (स्थगित राज)
 उपसचिव
 अयोध्या दिक्नेर प्राधिकरण,
 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।


 मिश्रा मोहनदेव
 इमरान
 रविन्द्र कुमार
 अमि प्रकाश
 इमरान कुमार
 सुन्दर
 अमि

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6124

वर्ष: 2023

निष्ठादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजसुम व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त विक्रेता: 1

श्रीमती शोभा देवी, पत्नी श्री उमाशंकर

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 2



श्री उमाशंकर विश्वकर्मा, पुत्र श्री विश्वकर्मा

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार *उमाशंकर*

विक्रेता: 3



श्रीमती ज्ञान मती, पुत्री श्री विश्वकर्मा

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 4



श्री यशेंद्र कुमार, पुत्र श्री विश्वकर्मा

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार *यशेंद्र कुमार*

विक्रेता: 5



श्री सुरेंद्र कुमार, पुत्र श्री विश्वकर्मा

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार *सुरेंद्र कुमार*

विक्रेता: 6



श्री अश्वीत ज्ञान अजीत विश्वकर्मा, पुत्र श्री विश्वकर्मा

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार *अश्वीत*

विक्रेता: 7



Handwritten signature

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वरिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु बचनित भूमि हेतु हम लोग शापती सहनत के आचार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि प्राग- किरोजपुर सुपरहाउ परगना मंगलती लहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहस्वातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	खेता का अंश/विक्रय क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
104	शोभा देवी	उमाराकर	0.06933	
104	उमाराकर	विश्वकर्मा	0.00990	उमाराकर
104	जानमती	विश्वकर्मा	0.00990	
104	धर्मेश कुमार	विश्वकर्मा	0.00990	धर्मेश कुमार
104	सुरेश कुमार	विश्वकर्मा	0.00990	सुरेश कुमार
104	अर्जुन रण अर्जुन विश्वकर्मा	विश्वकर्मा	0.00990	Ajrest
104	जितेन्द्र रण जितेन्द्र विश्वकर्मा	विश्वकर्मा	0.00990	जितेन्द्र विश्वकर्मा
104	रवीन्द्र कुमार	विश्वकर्मा	0.00990	रवीन्द्र कुमार

निष्पादन का दिनांक-
स्थान - सोहावल, अयोध्या।

उप निदेश
अयोध्या विकास प्राधिकरण, लखीमपूर

आवेदन सं०: 202300904007478

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3135 के पृष्ठ 285 से 306 तक क्रमांक 6124 पर दिनांक 21/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०
उप निबंधक : सोहाबल
अयोध्या
21/09/2023

प्रिंट करें



10

11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000



INDIA NON JUDICIAL



42

Government of Uttar Pradesh

IN-UP19452935629399V

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP19452935629399V

Certificate Issued Date : 20-Sep-2023 03:59 PM

Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14148004/ SOHAWAL/ UF-FZ3

Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1414800433850231070592V

Purchaser by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA

Description of Document : Article 23-Conveyance

Property Description : GATA NO-168 MAUJA FIROZPUR UPARHAR PARHAGALS/ TEH. SOHAWAL DISTT-AYODHYA

Consideration Price (Rs.) :

First Party : NIRMALA BEWA URF NIRMALA WG BAJNATH

Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA

Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA

Stamp Duty Amount (Rs.) : 18,620
(Eighteen Thousand Six (Under And Twenty only)



Digitally signed by Nirmala Be...

Handwritten signature: नि. ३१, सोहावल

उप नि. विव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

0007065800

Disclaimer

1. This document is the Stamp certificate issued by the Government of Uttar Pradesh.
2. The user is advised to verify the authenticity of the document by visiting the website www.upstamp.gov.in.
3. The user is advised to verify the authenticity of the document by visiting the website www.upstamp.gov.in.





निबंधक
निर्दिष्ट



अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

विक्रय पत्र

कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिल कृषि आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम - फिरोजपुर उपरहार ÷, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल, अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण-

गाटा संख्या	गाटा की यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
168	1662690168300012	0.0190

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.0190 हेक्

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी


गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
168	0.0190	गा.सं-213	गा.सं-170	गा.सं-167	गा.सं-169

नि. 21
7/1/2024

उप निबन्धक
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

11
12
13
14
15

16



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

गादा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का (रु0 हेक्टेयर) (सर्किल दर का 4 गुना)	प्रतिफल की इतराशि
1	2	3	4	5	7	8
168	0.0190	विमला देवी शर्मा मिर्जा	शैलराज	0.0190	266000.00	266000.00

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 18620.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
विमला देवी शर्मा मिर्जा	शैलराज	356881949891	DAZPN739jF	8127462228	घरणी	कोल्हणी बाजार कईजी मरौंधा अयोध्या।

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम शाल उपसचिव, अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार		AAALA0208C	7607778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।



उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



11. - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिसे पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में दिवादारपद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बंधक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के सगरे प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, तख्तनाम दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर राहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सगै प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

12- भुगतान का विवरण -

क्र 0	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम / शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	निर्मला देवा उर्फ निर्मला	विजयशंकर	सि-एल बैंक ऑफ इंडिया सोहावल	CBIN0280191	5397318311	266000.00

कुल धनराशि शब्दों में-

(दो लाख छत्तर हजार रुपये मात्र)

उपस्थित
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NIFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उक्त कोई भी सत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित समस्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गवर्नरों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण -:

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
ओम प्रकाश	श्री राजबली प्रसाद	7607778903	नीकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

द्वितीय साक्षी विवरण -:

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
श्री महेन्द्राशोक झा	श्री हरजन झा	8127462228	आपस	जगन्पुर गन्नावट अयोध्या।

Mohd Mohd Ashram



उप निवेद
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



- शासनादेश संख्या राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी / भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात् भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात् क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सम्बन्ध देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भूस्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूखण्ड कोई बात या भूखण्ड किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेंगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते हैं:-


(1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।

(2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, बले ही इस पर कसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।


(3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्वय रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रिय निकाय/राज्य सरकार को (संयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चात् वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करने।

(4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।

(5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।



उप-सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



(6) ऋय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसे स्वाम्य शुल्क भी सम्मिलित है को ऋय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।

(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा ऋय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(8) ऋय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।

(i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सन्पादित कराया है।

(ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।

(iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
00051	168	0.0190	-	266000.00	-	-

भूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कालम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता
08	09	10	11		
-	-	266000.00	निर्मला देवी उर्फ निर्मला	बैजराज	कोन्हरी बाजार कडीली मसीध अयोध्या।

नोट :- मैने आपसी समझौते के आधार पर ऋय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

उपरि
सहीक विक्रय अधिकारी, सोहावल

आवेदन सं०: 202300904007454

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 18068

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 266000 स्टाम्प शुल्क- 18620 बाजारी मूल्य - 266000 पंजीकरण शुल्क - 2660 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 घोग : 2720

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री शरद कुमार
व्यवसाय : नौकरी
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या



स्वर्णिम राज अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा


ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 20/09/2023 एवं
04:30:44 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राहुल सिंह
सम निबंधक सोहावल
अयोध्या
20/09/2023

निबंधक लिपिक
20/09/2023

प्रिंट करें



• मुरवाजी/मुरवागिरी के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	निर्मला देवा चर्क निर्मला	बैजराज	कोन्दरी बाजार कधीली मलेशिया अयोध्या	

गयाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
ओम प्रकाश	रतन राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	

गयाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
मो० मोहम्मद शम खान	मो० इकबल खान	8127462228	व्यापार	जयपुर सीहावल अयोध्या।	170410 Mohd Ashim




Mohd Ashim



क्रय निकाश की ओर से अधिकृत
(स्वर्णिम राज)
उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण
अयोध्या।

उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



बही सं० :

रजिस्ट्रेशन सं०: 6068

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजबूत व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उचित
विक्रेता: 1

श्रीमती निर्मला देवा उर्फ निर्मला, पत्नी श्री वैजनाथ

निवासी: कोन्ट्री बाजार कछोली मसौदा अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी

क्रेता: 1




श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्तर्पित राज, पुत्र श्री
शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1




श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2



श्री मोहम्मदशम खां, पुत्र श्री मों हारून खां

निवासी: जगनपुर तहो रोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार MOHD-MOHTASHIM



रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

[Signature]
राहुल सिंह
उप निबंधक, सोलावला
अयोध्या
20/09/2023

[Signature]
निबंधक लिपिक अयोध्या
20/09/2023

प्रिंट करें

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वरिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
168	निर्मला बेदा वृष निर्मला	बैजराज	0.0190	

निष्पादन का दिनांक:-

स्थान - सोहावल, अयोध्या।


उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007454

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3133 के पृष्ठ 195 से 212 तक क्रमांक
6068 पर दिनांक 20/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


राहुल सिंह
उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
20/09/2023





INDIA NON JUDICIAL



4-3

Government of Uttar Pradesh

IN-UP19475374439899V

e-Stamp



6070

Certificate No. : IN-UP19475374439899V

Certificate Issue Date : 20-Sep-2023 04:08 PM

Account Reference : NEWIMPACC (SV)/up14148004/SOHAWALI UP-FZB

Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1414800430826121542835V

Purchased by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA

Description of Document : Article 28 Conveyance

Property Description : GATA NO 124 KA AND OTHERS MAUJA-FIROZPUR UPARHAR PAR MAGALSI TEH-SOHAWAL DISTT-AYODHYA

Consideration Price (Rs.) :

First Party : RAM LAGAN SO BABU LAL

Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA

Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA

Stamp Duty Amount (Rs.) : 2,52,560
(Two Lakh Fifty Two Thousand Five Hundred And Sixty only)



Stamp Duty Paid By: AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA

210 को राम लाल

लाल

राम लाल

राम लाल

जयौध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

0007065801

Sanitary Sheet

1. This sheet is to be filled up by the user of the e-Stamp and submitted to the concerned authority for verification.

2. The user of the e-Stamp should fill up this sheet in the prescribed manner and submit it to the concerned authority.

3. The user of the e-Stamp should fill up this sheet in the prescribed manner and submit it to the concerned authority.

4. The user of the e-Stamp should fill up this sheet in the prescribed manner and submit it to the concerned authority.





दिनांक



अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु बशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु व्ययनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निम्नलिखित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम -फिरोजपुर उपरहार ÷, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल , अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण-

गाटा संख्या	गाटा की यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
124क	1662690124000012	0.1000
215क	1662690215000012	0.0510
215अ	1662690215200112	0.5050


5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल- 0.1840 हेक्टेयर

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
124क	0.02500	गाटा संख्या-131,132 व चकमार्ग	गाटा संख्या-123	गाटा संख्या-124 शेष भूमि	गाटा संख्या-133
215क	0.01275	गाटा संख्या-218	गाटा संख्या-213	गाटा संख्या-214 चकमार्ग	गाटा संख्या-219
215अ	0.12625	गाटा संख्या-218	गाटा संख्या-213	गाटा संख्या-214 चकमार्ग	गाटा संख्या-218



उप निबन्धक
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का (रु० हेक्टेयर) (सकिल दर का 4 गुना)	प्रतिफल की धराराशि
1	2	3	4		7	8
124क	0.1640	राम लाल	बाबूलाल	0.02500	5,50,000.00	5,50,000.00
215क				0.01275	2,80,500.00	2,80,500.00
215अ				0.12625	27,77,500.00	27,77,500.00
			योग-	0.1640	36,08,000.00	36,08,000.00

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु० 252560.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -


विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
राम लाल	बाबूलाल	4047 2062 3075	BTSP19571K	7068513090	श्वेती	ग्राम कैरोजपुर जगरहार, सोहावल, अयोध्या

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्थिति राज, जगरासिन, अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार	-	AAALA0206C	7607778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।



उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शारानादेश सं०-2/2015/215 / 1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13. लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, सं०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।



रमेश कुमार
अध्यक्ष विकास प्राधिकरण, अयोध्या



12- भुगतान का विवरण -

क्र 0	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम / शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	राम लाल	बाबूलाल	बटौदा उत्तर प्रदेश प्रमाण बैंक	BARBBOBUPGBX	55060100004765	36,08,000.00
					योग-	39,08,000.00

कुल धनराशि शब्दों में-

(छत्तीस लाख आठ हजार रुपये मात्र)


उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दास्य करेगा। यदि विक्रेता को ब्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की गति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिवचन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गवोहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

उपरोक्त
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
सोम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

द्वितीय साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
गिरजाशंकर	राजेश्वर प्रसाद	9853589991	रूने	धाम गिरोजपुर तपस्वहार, सोहवल, अयोध्या

शासनादेश संख्या -राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी / भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात

प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे एतदपश्चात क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

 20/03/15


उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या




और चूंकि भूस्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवर्द्ध कोई बात या भूवर्द्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सर्ववृद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेंगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते हैं:-

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 गज के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक सम्भत्ता है तो यह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में दर्शित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रय में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यत्र रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रिय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त और पृथक्) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उदाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उरी भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वितीय संस्था का ऋण उगत भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके भोश धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।
- (6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसमें स्थान्य शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।
- (7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- (8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र का भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।
 - (i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।
 - (ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
 - (iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।



उपस्थित
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूजामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
121	124क 215क 215अ	0.1640	-	36,08,000.00	-	-

भूवद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता
08	09	10	11		
-	-	36,08,000.00	राम लाल	शंभुलाल	ग्राम फिरोजपुर उपरहार, सोहावल, अयोध्या

नोट :- मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

• भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	राम लाल	शंभुलाल	ग्राम फिरोजपुर उपरहार, सोहावल, अयोध्या	



उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007455

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6070

वर्ष: 2023

प्रतिफल - 3608000 स्टाम्प शुल्क - 252560 बाजारी मूल्य - 3608000 पंजीकरण शुल्क - 36080 प्रतिनिधिकरण शुल्क - 60 पोग: 36140

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी प्रतिनिधि,
पुत्र श्री शरद कुमार
व्यवसाय: नीकरी
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या




स्वर्णिम राज अधिकृत
पदाधिकारी प्रतिनिधि

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 20/09/2023 एवं
11:19:38 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


राजिव सिंह

स्वयं निबंधन: सोहावल
अयोध्या
20/09/2023

निबंधक लिपिक
20/09/2023

प्रिंट करे



गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	

गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
मिरजाशंकर	राजेश्वर प्रसाद	8853589991	कृषि	ग्राम फिरोजपुर उपरहार, सोहानल, अयोध्या	



क्रय निकाय की ओर से
अधिकृत,
(स्वर्णिम राज)
उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण,
अयोध्या।


उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



वर्ती क्रमः।

रजिस्ट्रेशन सं०: 6070

वर्ष: 2023


निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजसुम व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त विक्रेता:।

श्री राम लाल, पुत्र श्री बाबू लाल

निवासी: किरोजपुर उपखण्ड तहः सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

क्रमांक: 1




श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता:।



श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजदत्त प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2




श्री गिरजाशंकर, पुत्र श्री राजेश्वर प्रसाद

निवासी: ग्राम किरोजपुर उपखण्ड, तहः सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

ने की। प्रत्यक्ष धन राशियों के तैयारी अंगुठे तैयारीनुसार लिए गए हैं।
दिनांक



रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रेशन अधिकारी
सोहावल
अयोध्या
20/09/2023

निर्वाक लिपिक अयोध्या
20/09/2023

प्रिंट करें

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु धयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	राम लाल	बाबू लाल	0.1640	

निष्पादन का दिनांक:-
स्थान - सोहावल, अयोध्या।

 6/12/2014


उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007455

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3133 के पृष्ठ 233 से 252 तक क्रमांक
6070 पर दिनांक 20/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


राहुल सिंह
उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
20/09/2023





INDIA NON JUDICIAL



IN-UP20511322441589V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



8 6121

Certificate No. : IN-UP20511322441589V
 Certificate Issued Date : 21-Sep-2023 03:15 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14148004/ SOHAWAL/ UP-FZB
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1414800436587166192321V
 Purchased by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Description of Document : Article 23 Conveyance
 Property Description : GATA NO-215 A AND OTHERS MAUJA-FIROZPUR UPARHAR PAR-
 MAGALSI TEH-SOHAWAL DISTT-AYODHYA
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : ANANTRAM URF ANANTEY SO BABU LAL
 Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 2,52,560
 (Two Lakh Fifty Two Thousand Five Hundred And Sixty only)

0072 52 56012, S2 56012, S2, 560



Please write or type below this line

अनन्तराम



उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

IRID 0007065817

Statutory Note:

1. The authenticity of our E-stamp certificate should be verified at www.aisstamp.gov.in using e-Stamp Mark- eye of each ruling.
2. Any discrepancy in the details on our Certificate Mark is available on the website / Mobile App system is void.
3. The duty of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
4. In case of any discrepancy please refer to the Complaint Cell.





5/6/12/22



अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम -फिरोजपुर उपरहार ÷, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल , अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण-

गाटा संख्या	गाटा की यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
215 अ	1662690215200112	0.5050
124क	1662690124000012	0.1000
215क	1662690215200112	0.0510

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.12625, 0.025 व 0.01275 हेक्

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
215 अ	0.12625	गा0सं0- 216	गा0सं0- 213	गा0सं0- 214 चकमार्ग	गा0सं0- 219
124क	0.025	गा0सं0- 131 व चकमार्ग 132	गा0सं0- 123	गा0सं0- 148	गा0सं0- 122
215क	0.01275	गा0सं0- 216	गा0सं0- 213	गा0सं0- 214 चकमार्ग	गा0सं0- 219



5/6/12/22

उप निबन्धक
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

100



100

7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का (रु0 हेक्टेयर) (सर्किल दर का 4 गुना)	प्रतिफल की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
215 अ	0.12625	अनन्तराम उर्फ अनन्ते	बाबूलाल	0.12625	2777500.00	2777500.00
124क	0.025	अनन्तराम उर्फ अनन्ते	बाबूलाल	0.025	550000.00	550000.00
215क	0.01275	अनन्तराम उर्फ अनन्ते	बाबूलाल	0.01275	280500.00	280500.00
			कुल योग		3608000.00	

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 252560.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -


विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
अनन्तराम उर्फ अनन्ते	बाबूलाल	746376302603	AXAPA8261E	9125394734	गजदूरी	फिरोजपुर उपरहार साहावल अयोध्या।

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार		AAALA0206C	7607778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।




उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



11 – प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि –


- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

12- भुगतान का विवरण -

क्र 0	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम/ शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	अनन्तराम उर्फ अनन्ते	बाबूलाल	बड़ौदा यू.पी.० शमीण बैंक अयोध्या।	BARB0BUPGBX	55300100019504	3608000.00



उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



कुल धनराशि शब्दों में-

(छत्तीस लाख आठ हजार रुपये मात्र)

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवाश में निम्नलिखित दो गवोहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण -:

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

द्वितीय साक्षी विवरण

16/08/2024
हस्ताक्षर



नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
करिया	राम लाल	9198206452	मजदूरी	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।



8/10/2024

उप निवेद
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



शासनादेश संख्या - राजस्व अनुभाग - 13 संख्या - 2/2015/215 एक - 13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी / भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात् भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात् क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।


और चूंकि भूस्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्ध कोई बात या भूवद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त और पृथक्) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।


5/11/2015 124


उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

Handwritten notes in the top right corner, possibly including a date or page number.



(5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।

(6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।

(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।

(i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।

(ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।

(iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
00120	215 अ	0.12625	-	2777500.00	-	-
00121	124क	0.025	-	550000.00		
00121	215क	0.01275	-	280500.00		

भूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता
08	09	10	11		
		3608000.00	अनन्तराम उर्फ अनन्ते	बाबूलाल	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।




उप निरिब
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007480

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6121

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 3608000 स्टाम्प शुल्क- 252560 बाजारी मूल्य - 368000 पंजीकरण शुल्क - 36080 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 36140

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री शरद कुमार
व्यवसाय : नोकरी
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या



श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

स्वर्णिम राज अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 21/09/2023 एवं
04:27:30 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


प्रदीप कुमार प्र०
उप निबंधक :सोहावल
अयोध्या
21/09/2023



निबंधक लिपिक
21/09/2023

प्रिंट करें



नोट :- मैने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।


- भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	अनन्तराम उर्फ अनन्ते	बाबूलाल	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	

गवाह /अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	

गवाह /अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
करिया	राम लाल	9198206452	मजदूरी	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	

क्रय निकाय  और से अधिकृत,
(स्यर्गिम राज)
उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण,
अयोध्या।
उप 
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या


S/G F 17/2/24

बही सं०: 1


रजिस्ट्रेशन सं०: 6121

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रतेखानुसार उक्त
विक्रेता: 1


श्री अनन्तराम उर्फ अनन्त, पुत्र श्री बाबूलाल
निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह० सोहावल अयोध्या
व्यवसाय: व्यापार



क्रेता: 1 

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री
शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या
व्यवसाय: नौकरी




ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1

श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी


पहचानकर्ता: 2 



श्री करिया, पुत्र श्री रामलाल

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


प्रदीप कुमार प्र०
उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
21/09/2023


निबंधक लिपिक अयोध्या
21/09/2023

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार
लिए गए है।
दिप्यंणी:

प्रिंट करे

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
215 अ	अनन्तराम उर्फ अनन्ते	बाबूलाल	0.12625	१/६/६/१२/२५
124क	अनन्तराम उर्फ अनन्ते	बाबूलाल	0.025	१/६/६/१२/२५
215क	अनन्तराम उर्फ अनन्ते	बाबूलाल	0.01275	१/६/६/१२/२५

निष्पादन का दिनांक:-

स्थान - सोहावल, अयोध्या।



१/६/६/१२/२५

उप सचिव

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007480

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3135 के पृष्ठ 235 से 252 तक क्रमांक
6121 पर दिनांक 21/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


प्रदीप कुमार प्र०
उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
21/09/2023





Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

6074



Certificate No. : IN-UP18500011702516V
 Certificate Issued Date : 19-Sep-2023 06:06 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV) up1414800w 80-HAWAL-UP-F26
 Unique Doc. Reference : SUN-IN-UP/UP1414800-432555968132709V
 Furnished by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Description of Document : A/NR 23 Conveyance
 Property Description : GATA NO-83 MAULIA-FIBOZPUR UPARHAR, PAKH-MAGAL, TEH-
 SOHAWAL DISTT-AYODHYA
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : (RAM SUJWAN SO SUPLSHWAR
 Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Stamp Duty Amount (Rs.) : 51,590
 (Fifty One Thousand Five Hundred And Ninety only)



Handwritten signature in Hindi: श्री सुजीवन

Handwritten signature and text: अध्यक्ष विकास प्राधिकरण, अयोध्या

0007065773





नि.अ. सोहावल



उप नि.अ. अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में शमय विकास हेतु वशिक कुल आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम - फिरोजपुर उपरहार :-, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल, अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण-

गाटा संख्या 83	गाटा की यूनिट आई.डी. 1662690083000012	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) 0.2630
-------------------	--	------------------------------------

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.0526 हेक्टर

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
83	0.0526	गाटा सं- 82	गाटा सं- 123	गाटा सं- 84	गाटा सं- 84 व 88



नि.अ. सोहावल

उप नि.अ. अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

गणना संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का (रु० हेक्टेयर) (सर्किल दर का 4 गुना)	प्रतिफल की धनराशि
1	2	3	4	5	7	8
83	0.2630	राम सजीवन	सुमेसर	0.0526	750400.00	750400.00

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 51590.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
राम सजीवन	सुमेसर	553902684263	RSIPS9779D	7459802145	भवदूरी	पिपोजपुर उपखंड, कोहावाल अयोध्या।

10 - क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण -

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा नामित स्वर्णिम राज उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार		AAALA0206C	7607778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।



वि.क. राम सजीवन

उपसचिव

अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या



11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रकार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादोद्भव है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेगा, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

12- भुगतान का विवरण -

क्र०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम/ शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	राम सतीश्वर	सुनेतर	बैंक ऑफ़ इंडिया प्राचीन बैंक अयोध्या	BARB0BUPGBX	55300100014459	736400.00

कुल धनराशि शब्दों में-

(सात लाख छत्तीस हजार चार सौ रुपये मात्र)

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा लिया जायेगा।



1-1-2015
राम सतीश्वर

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को बुद्धिमत्ता अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब वरह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से मू. राखरव की भांति बसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो तबोहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
आन प्रकाश	स्व0 राजबली प्रसाद	7607778933	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।



हस्ताक्षर



द्वितीय साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
जासोमती	जगजीवन	9125394734	ग्रहणी	फिरोजपुर उपरहार अयोध्या।



नि. अ.
रामसजीवन

उपस्थित
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



शासन-देश संख्या - राजस्व अनुभाग - 13 संख्या - 2/2015/215 एक - 13-2015-20(48)/2011 दिनांक
18 मार्च, 2015 भूस्वामी / भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि
क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये
उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात् भूस्वामी कहा गया है) और

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात् क्रय निकाय कहा गया है) के
मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका
विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भूस्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवृद्ध कोई बात या भूवृद्ध किसी
दोष से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातों क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकती। अतएव
क्रय भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है-

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर
अनिवार्य अर्जन के बिना कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने
का हकदार होगा/होंगे, मले ही इस पर फरसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और
कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता
पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्वय रूप
से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का
भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अकमरित
की जाय, माग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या
प्रतिकर या उसके भाग के क्रय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त और पृथक्) इतिपूर्ण भी करेगा
और सटाई गई किसी डाने या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको
भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उभगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर
उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी
धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 08 प्रतिशत की दर पर और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की
दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेगी।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता
है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल
करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश
देने का पूरा अधिकार होगा।



निष्पादित
समझौता

उप सचिव

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य को धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू स्वामी को किया जायेगा।
- (6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।
- (7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- (8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।
- (i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को लपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।
- (ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
- (iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का माग हो (चारों सीमाओं और लकी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
158	83	0.0526	-	736400.00	-	-

भूवद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता
08	09	10	11		
-	-	736400.00	राम सजीवन	सुनेसर	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।



नि.सू. मगलसी

उम...
कृषि विकास अधिकरण, अयोध्या

आपेदन सं०: 202300904007399

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6076

वर्ष: 2023

प्रतिफल - 736400 स्टाम्प शुल्क - 51590 बाजारी मूल्य - 737000 पंजीकरण शुल्क - 7370 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 पोग: 7430

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी: प्रतिनिधि,
पुत्र श्री बरद कुमार
व्यवसाय: नौकरी
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या




श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

स्वर्णिम राज अधिकृत
पदाधिकारी: प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 20/09/2023 एवं
05:44:48 PM को
निबंधन हेतु पेश किया।


रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


रजिस्ट्रार
उप निबंधन: सोहाबस

अयोध्या
20/09/2023

निबंधक लिपिक
20/09/2023

प्रिंट करें



नोट :- मैने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर मली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

- मूल्यांगी/मूल्यामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	राम सजीवन	सुमेसर	किरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	

गवाह /अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
अमि प्रकाश	रवू राजबली प्रसाद	7607778909	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	

गवाह /अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
जासोवती	रामसजीवन	9125394734	ग्रहणी	किरोजपुर उपरहार अयोध्या।	जासोवती

उप सचिव
क्रय निष्पादन से अधिकृत
(स्वयंम शर्त)
उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण,
अयोध्या।



मि.सु. राजसजीवन

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007399

शही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6076

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु ब्रलेखानुसार उर्फ
विक्रेता: 1

श्री राम सजीवन, पुत्र श्री सुमेश्वर

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तहसील सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

प्रेक्षा: 1




श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री
शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1



श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राज शती प्रकाश

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2



श्रीमती जासोमती, पति श्री जगजीवन

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तहसील सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी



ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगुठे नियमानुसार
लिपि मंगू है।

दिनांक:

जासोमती

रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

राहुल सिंह

उप निबंधक : सोहावल

अयोध्या

20/09/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या

20/09/2023

प्रिंट करें

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लॉग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना सगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहस्वातदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	
83	राम सजीवन	सुमेसर	0.0526	

निष्पादन का दिनांक:-
स्थान - सोहावल, अयोध्या।


 उपसचिव
 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या




नि.स. रामसजीवन

आवेदन सं०: 202300904007399

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3133 के पृष्ठ 351 से 368 तक क्रमांक
6076 पर दिनांक 20/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


राहुल सिंह,
उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
20/09/2023



100-1000000

2



e-Stamp



Certificate No. **6056**
 Certificate Issued Date **2023**
 Account Reference
 Unique Doc. Reference
 Purchased by
 Description of Document
 Property Description
 Consideration Price (Rs.)
 First Party
 Second Party
 Stamp Duty Paid By
 Stamp Duty Amount(Rs.)

: IN-UP15892370460680V ✓
 : 20-Sep-2023 12:29 PM
 : NEWIMPACC (SV) up141480041 SOHAWAL UP-FZB
 : SUBIN-UP/UP1414800433335546019720V
 : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 : Article 29-Conveyance
 : GATA NO-40 AND OTHERS MAUJA-FIROZPUR UPARHAR PAR-MAGALSI
 : TEH-SOHAWAL DISTT-AYODHYA
 :
 : GIRJA SHANKAR URF GULAB CHAND SO RAJESHWAR
 : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 : 2,21,480
 : (Two Lakh Twenty One Thousand Four Hundred And Eighty only)



Girja Shankar (30/09/2023)


उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



0007065788

Handwritten text in the top right corner, possibly a page number or date.





शिव प्रसाद शर्मा मुख्यालय



अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

विक्रय पत्र

कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु त्रिशिष्ट कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न प्रकारों के मध्य आमसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम -फिरोजपुर उपरहार :-, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल, अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण-

गाटा संख्या	गाटा की यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
40	1662690040000012	0.1490
42	1662690042000012	0.0770

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.1490 व 0.0770 हेक्टा

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
40	0.1490	गा0010- 45 व 44	गा0010- 39 व 41	गा0010-37 व 38	गा0010- 42 व 43
42	0.0770	गा0010- 43 व 44	गा0010- सीमा ग्राम इब्राहिमपुर दिवली	गा0010-41 व 43	गा0010- आशिम गांव 44



शिव प्रसाद शर्मा मुख्यालय


 उप निबन्धक
 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

नाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का (रु० हेक्टेयर) (मर्कित दर का 4 गुना)	प्रतिफल की धनराशि
1	2	3	4		7	8
40	0.1490	गिरजा शंकर उर्फ गुलाबचन्द	राजेश्वर प्रसाद	0.1490	2086000.00	2086000.00
42	0.0770	गिरजा शंकर उर्फ गुलाबचन्द	राजेश्वर प्रसाद	0.0770	1078000.00	1078000.00
			योग		3164000.00	

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 221480.00

9- विक्रेता नण (प्रथम पक्ष) का विवरण -

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
गिरजा शंकर उर्फ गुलाबचन्द	राजेश्वर प्रसाद	484133742373	CVLPG4249K	8853589991	कृषि	फिरोजपुर उपखण्ड, सांखण्ड, अयोध्या।

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा न.प्रि.स. स्वर्णिम राज उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार		AAALA0206C	7607778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।



गिरजाशंकर उर्फ गुलाबचन्द

उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रकार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि को किसी प्रकार से विक्रय, दान, दंडक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण इन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लक्ष्मणरु दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वानियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विजयस प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

12- भुगतान का विवरण -

क्र	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम/ शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	शिवराज शंकर ठाकुर मुजुमदार	राजेश्वर शंकर	बैंक ऑफ़ इण्डिया का अयोध्या	BARB0BUPGBX	55300100012450	3164000.00


कुल धनराशि शब्दों में- (इक्कीस लाख चौसठ हजार रुपये मात्र)

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।



21/03/2015 24/03/2015

उपस्थित
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी तब तक विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में दावा दायर करेगा। यदि विक्रेता को कृदिवस अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से मू-राजस्व की मांग वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्कादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गवोर्णों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण :-
हस्ताक्षर



नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
आन प्रकाश	एच0 राजबली प्रसाद	7607778903	मीकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।




द्वितीय साक्षी विवरण :-
हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
राज जगन	बाबूलाल	7068513090	मजदूरी	फिरोजपुर उमरगढ़ सौदागल अयोध्या।



शिरमोही का उमरगढ़ सौदागल

उपस्थित
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



शासनादेश संख्या - राजस्व अनुभाग - 13 संख्या - 2/2015/215 एक - 13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च 2015 भूस्वामी / भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात् भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे एतदपश्चात् क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भूस्वामी अप्रैतार सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूखंड जोई बात या भूखंड किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकती। अतएव कब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

- (1) यह कि क्रय निकाय द्वारा समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के दिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्त्यन्त रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त और पृथक्कृत) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उदाई गई किसी हानि या नुकसान को सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में अशकल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को बसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।

उप सचिव

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

12/11/2015



- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।
- (6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।
- (7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कच्चा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- (8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को गूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।
- (i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।
- (ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
- (iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वदाग संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
0023	40	0.1490		2086000.00	-	-
0023	42	0.0770		1078000.00		

भूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम- 5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता
08	09	10	11		
		3164000.00	गिरजा शंकर उर्फ गुलाबचन्द	राजेश्वर प्रसाद	फिरोजपुर उपरहार सोहावल जयोध्या।
			गिरजा शंकर उर्फ गुलाबचन्द	राजेश्वर प्रसाद	फिरोजपुर उपरहार सोहावल जयोध्या।

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

फिरोजपुर उपरहार सोहावल जयोध्या

विक्रय पत्र

पृष्ठी सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6056

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 3164000 स्टाम्प शुल्क- 221480 बाजारी मूल्य - 3164000 पंजीकरण शुल्क - 31640 प्रतिनिधिकरण शुल्क - 60 योग : 31700

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री शरद कुमार
व्यवसाय: नौकरी
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या




स्वर्णिम राज अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 20/09/2023
एवं 02:57:32 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


राजुल सिंह

उप निबंधक :सोहावल


अयोध्या

20/09/2023

निबंधक लिपिक


20/09/2023

प्रिंट करें



नोट :- मैने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर गली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

- नुस्वाणी/भुरवामियों के हस्ताक्षर


क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	गिरजा शंकर उर्फ गुलाममन्द	राजेश्वर प्रसाद	फिरोजपुर उपरहार सोनवल अयोध्या।	

- गवाह /अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
आन प्रकाश	रव० राजदली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	

- गवाह /अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
एम लखन	बाबूलाल	7068513090	फजदूरी	फिरोजपुर उपरहार सोनवल अयोध्या।	


उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या,
(स्वयंसेवा राज)
उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण,
अयोध्या।


उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या


गिरजा शंकर उर्फ गुलाममन्द

दही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6056

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझाने मजमून व प्राप्त धनराशि क प्रलेखानुसार उक्त
दिक्रेता: 1

श्री गिरजा शंकर उर्फ गुलाबचन्द, पुत्र श्री राजेश्वर प्रसाद

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तहसील सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

श्रेता: 1

Giraj Shankar




श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र
श्री शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: लौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। निष्पादन पहचान
पहचानकर्ता: 1

[Signature]




श्री जोग प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबती प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: लौकरी

पहचानकर्ता: 2

[Signature]



श्री राम जगन, पुत्र श्री बाबूलाल

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तहसील सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

ने की। प्रत्यक्षता और साक्षियों के जिरान अंगूठे नियमानुसार
लिए गए हैं।

टिप्पणी:



रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

[Signature]
रहल सिंह

उपनिबंधक: सोहावल

अयोध्या
20/09/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या
20/09/2023

प्रिंट कर

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु इन लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलती तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहकारिता की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	समर्थकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
40	गिरजा शंकर उर्फ गुलाबचन्द	राजेश्वर प्रसाद	0.1490	गिरजा शंकर उर्फ गुलाबचन्द
42	गिरजा शंकर उर्फ गुलाबचन्द	राजेश्वर प्रसाद	0.0770	गिरजा शंकर उर्फ गुलाबचन्द

विधवा का दिनांक:-
स्थान - सोहावल, अयोध्या।



 गिरजा शंकर
 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या


 गिरजा शंकर उर्फ गुलाबचन्द

आवेदन सं०: 202300904007416


बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3133 के पृष्ठ 1 से 18 तक क्रमांक
6056 पर दिनांक 20/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


राहुल सिंह
उप निबंधक : सोहावल

अयोध्या
20/09/2023

प्रिंट करें



1

..



INDIA NON JUDICIAL



45

Government of Uttar Pradesh

IN-UP1904031536861V

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP1904031536861V
 Certificate Issued Date : 20-Sep-2023 01:19 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SVV up14148004/ SOHAWAL/ UP-FZR)
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1414800493683629649014V
 Purchased by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Description of Document : Article 23 Conveyance
 Property Description : GATA NO-257 MALJA-FIROZPUR UPARHAR PAR-MAGALSI TERI SOHAWAL DIST T-AYODHYA
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : HUSN JAHAN DO MOHD GAYAS
 Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Stamp Duty Amount (Rs.) : 58,520
 (Fifty Eight Thousand Five Hundred And Twenty only)




Stamp Duty Paid By (Print Name)

Husn Jahan

[Signature]
उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

0007065795





12/3/21



अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु दक्षिण कुंज आयातीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न प्रकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निम्नादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम - फिरोजपुर उपरहार, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल, अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण-

गाटा संख्या	गाटा की युनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
257	1662690257000012	0.1040

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.038 हेक्टेयर

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी


गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
257	0.038	चकमार्ग सीमा ग्राम झलारपुर	नाली 268	गाटा संख्या-256	गाटा संख्या-258



Sum Jahan



उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का (रु) हेक्टेयर (सकिल दर का 4 गुना)	प्रतिफल की धनराशि
1	2	3	4		7	8
257	0.038	हुस्नाजहां	मोहम्मद मयाज	0.038	8,36,000.00	8,36,000.00
			योग-	0.038	8,36,000.00	8,36,000.00

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - ₹0 58520.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
हुस्नाजहां	मोहम्मद मयाज	5756 0084 7737	AYPPJ8986R	8173994047	लोकरी	आर्य कन्या रोड, कंधारी बाजार, जयपुर

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित उपसचिव, अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार	-	AAALA0206C	7607778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।


Mun Taham

उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/216 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।


Anurag Jaiswal


रूप जैसवाल
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



12- भुगतान का विवरण -

क्र 0	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम / शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	दुलजिह	मोहम्मद बकाल	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	SBIN0016732	20279778799	8,36,000.00
					योग-	8,36,000.00

कुल धनराशि शब्दों में-

(आठ लाख छत्तीस हजार रुपये मात्र)

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद वायद करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बू-राजस्व की भांति पसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक को सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के परचात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवाश में निम्नलिखित दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
जॉन प्रकाश	स्व. राजबली प्रसाद	7607778903	गौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।


Jain Prakash


उप साक्षी
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



द्वितीय साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
मोप अरुलीन	आरिफ अली	8052790345	कृषि	किरोलपुर, पारसवार मण्डल



श.सनादेश संख्या -राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात् भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे एतदपश्चात् क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भूस्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवृद्ध कोई बात या भूवृद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेंगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है-

(1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।


Mop Arulian


उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



(2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक सम्भता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, शले ही इस पर फसल खड़ी हां, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हां।

(3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्ध रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर वा उसके भाग के क्रय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त और पृथक्ता:) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।

(4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।

(5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीनियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके भोरा धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।

(6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य इस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुबोध के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिरों स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित हैं को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।

(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधाराँ पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।

(i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।

(ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।

(iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।



Mem. Taham

उप निवेद
अवोध्य निमित्त प्रतिकरण, अयोध्या



अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
40	257	0.038	-	8,36,000.00	-	-

मूल्यंकन अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता
08	09	10	11		
-	-	8,36,000.00	हुसैनजहाँ	मोहम्मद गवास	आर्य कन्या रोड, कच्ची बाजार, अयोध्या

नोट :- मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भाँति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

- भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	हुसैनजहाँ	मोहम्मद गवास	आर्य कन्या रोड, कच्ची बाजार, अयोध्या	<i>Mun Jahan</i>



Mun Jahan


लप रॉय
अयोध्या विजल प्राधिकरण, अयोध्या

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6050

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 856000 स्टाम्प शुल्क- 58520 बाजारों मूल्य - 826000 फंक्शन शुल्क - 8360 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 पोल : 8420

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी, प्रतिनिधि,
पुत्र श्री शरद कुमार
व्यवसाय : नौकरी
निवासी : अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या



श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

स्वर्णिम राज अधिकृत
पदाधिकारी, प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 20/09/2023 एवं
02:04:13 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।


रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर


राजेश सिंह

उपनिबंधक सोहनल
अयोध्या
20/09/2023


निबंधक लिपिक
20/09/2023

प्रिंट करें



गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	

गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
मो० मकलीम	आशिक अली	8052790345	कृषि	फिरोजपुर उपरहार अयोध्या	इ. १०८१ कर्मिण

क्रय निकासी को और से
उपसचिव
अयोध्य विप्लव प्राधिकरण, अयोध्या
उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण,
अयोध्या।


Kum. Jahan

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6030

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता: 1

श्रीमती हुसब नही, पुत्री श्री मोहम्मद गयास

निवासी: आर्थोष्वा रोड कचारी बाजार, अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

क्रमांक: 1

Muhammad Jaham




श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री
शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1




श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजवती प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2

[Handwritten signature]




श्री भीम अकलीम, पुत्र श्री आशिक अली

निवासी: फिरोजपुर तह सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

[Handwritten signature]



ने की। प्रत्यक्ष-धर सश्रियों के निशान जगूठे निधमानुसार
लिय गए है।
टिप्पणी



रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

[Handwritten signature]
रजिस्ट्रेशन अधिकारी

सहायक : सोहावल
अयोध्या
20/09/2023

निर्देशक लिपिक अयोध्या
20/09/2023

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु अर्पित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	हुसैन	मोहम्मद ग़यास	0.038	Hum Jahan

निष्पादन का दिनांक:-
स्थान - सोहावल, अयोध्या।


Hum Jahan


उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007432

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3132 के पृष्ठ 299 से 318 तक क्रमांक
6050 पर दिनांक 20/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


राहुल सिंह
उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
20/09/2023



की शीर्षक का स्वामी बनने का अधिकार है।
07/06/2023

14374: अद्यतन 14374 नवीन अद्यतन का
2023/4/770090405903 अद्यतन का 15(2) अद्यतन का
2005 अद्यतन 2005 2023 का अद्यतन का 15(2) अद्यतन का
अद्यतन का 15(2) अद्यतन का 15(2) अद्यतन का 15(2)
अद्यतन का 15(2) अद्यतन का 15(2) अद्यतन का 15(2)
अद्यतन का 15(2) अद्यतन का 15(2) अद्यतन का 15(2)

14374: अद्यतन अद्यतन का 15(2) अद्यतन का 15(2)
2023/4/770090405903 अद्यतन का 15(2) अद्यतन का
अद्यतन का 15(2) अद्यतन का 15(2) अद्यतन का 15(2)
अद्यतन का 15(2) अद्यतन का 15(2) अद्यतन का 15(2)
अद्यतन का 15(2) अद्यतन का 15(2) अद्यतन का 15(2)
अद्यतन का 15(2) अद्यतन का 15(2) अद्यतन का 15(2)

0.0000	₹ 4.54	4	0
--------	--------	---	---

Data Digitally Signed by: UDAY R.A.J

https://opds.india.gov.in/dataset_login/app/techs/techt_report_user/RCOR_Techs/1

डेटा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है।
डेटा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है।
डेटा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है।




1

डेटा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है।
डेटा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है।
डेटा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है।

डेटा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है।
डेटा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है।
डेटा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है।

डेटा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है।
डेटा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है।
डेटा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है।

डेटा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है।
डेटा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है।
डेटा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है।



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.



47




e-Stamp

Certificate No. **6059** : IN-UP18524060478091V ✓
 Certificate Issued Date **2023** : 19-Sep-2023 08:45 PM ✓
 Account Reference : NetMIPACC/SVA/up141480047/SONHWAL/UP-FZB
 Unique Doc. Reference : SUBAR-UPUP141480043262652/231431V
 Purchased by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Description of Document : Article 23 Conveyance
 Property Description : GATA NO-124 KA AND OTHERS MAUJA-FROZPUR UP/INDIA/FAR-
 MAWALI TEH-SOHAWAL DISTT-AYODHYA
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : RAM SALIVAN SO DARJUAL
 Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Stamp Duty Amount (Rs.) : 2,52,500
 (Two Lakh Fifty Two Thousand Five Hundred And Sixty only)

&




 नि.अ.
 मुखसजीवन

उपसचिव
 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

0007065776





राजसोहन

नि.अ.डी.



अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

विक्रय पत्र

कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में सश्रम विकास हेतु वशेष कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित मूनि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख लिखादिता किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम - फिरोजपुर उपरहार ∴ परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल, अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण-

| गाटा संख्या | गाटा की यूनिट आई.डी. | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
|------------------|----------------------|--------------------------|
| 124 अ | 1662690124000012 | 0.1000 |
| 215 अ | 1662690215200112 | 0.5050 |
| 215 क | 1662690215000012 | 0.0510 |

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.025, 0.12625 व 0.01275 हेक्ठ

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

| गाटा संख्या | विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | पूरब | पश्चिम | उत्तर | दक्षिण |
|------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 124 अ | 0.025 | चकमार्ग गाठ सं०- 132 | गाठ सं०- 123 | गाठ सं० - 124
उप रोड | गाठ सं०- 213 |
| 215 अ | 0.12625 | गाठ सं०- 216 | गाठ सं०- 213 | चकमार्ग गाठ सं०- 214 | गाठ सं०- 219 |
| 215 क | 0.01275 | गाठ सं०- 216 | गाठ सं०- 213 | चकमार्ग गाठ सं०- 214 | गाठ सं०- 219 |



राजसोहन


नि.अ.डी.

उप निबन्धक

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

240

Small illegible mark or stamp.



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

| श्रद्धा संख्या | विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | विक्रेता का नाम | पिता/पति का नाम | विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में) | भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर या (रु० हेक्टेयर) (मकिल दर का 4 गुना) | प्रतिफल की श्रद्धाशि |
|----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 124 | 0.025 | राम राजीवन | बाबूलाल | 0.025 | 550000.00 | 550000.00 |
| 216 अ | 0.12625 | राम राजीवन | बाबूलाल | 0.12625 | 2777500.00 | 2777500.00 |
| 216 क | 0.01275 | राम राजीवन | बाबूलाल | 0.01275 | 280500.00 | 280500.00 |
| | | | मोट | 0.1640 | 3608000.00 | |

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 252560.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -

| विक्रेता का नाम | पिता/पति का नाम | आधार संख्या | पैन कार्ड संख्या | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता |
|-----------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|---------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| राम राजीवन | बाबूलाल | 537415373382 | RSEPS5423L | 6390500724 | मजदूरी | किरीचनपुर चपरसर बाबूलाल अयोध्या। |

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

| क्रेता का नाम | पिता/पति का नाम | आधार संख्या | पैन कार्ड संख्या | मोबाइल नम्बर | पदनाम | पता |
|--|-----------------|-------------|------------------|--------------|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज उत्तरी अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। | श्री शरद कुमार | | AAALA0206C | 7607778911 | उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। |



किरीचन

राम राजीवन

उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



100

11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादार्थ है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या के मूल स्वतंदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

12- भुगतान का विवरण -

| क्र 0 | विक्रेता का नाम | पिता/पति का नाम | बैंक का नाम / शाखा का नाम | IFSC Code | खाता संख्या | धनराशि |
|-------|-----------------|-----------------|--|-----------------|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | राम सजीवन | बंदा लाल | राजीव सुप्रीम प्राथमिक बैंक चिरई मोहम्मदपुर अयोध्या। | BARB0BUPGB
X | 55300100014183 | |

कुल धनराशि शब्दों में-

()




राम सजीवन

राम सजीवन

उपरोक्त
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या





शासनादेश संख्या - राजस्व अनुभाग - 13 संख्या - 2/2015/215 एक - 13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च 2015 भूस्वामी / भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात् भूस्वामी कहा गया है) और

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात् क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भूस्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूखंड कोई बात या भूखंड किसी धीले से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बट्टे क्रय निकाय के पूर्ण अनुमोदन से वापस ली जा सकती। अर्थात् जब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अगिवाय अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विज्ञापन के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्वय रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर का उसके भाग के क्रय निकाय/राज्य सरकार को (संयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चात् वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उक्त धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।



न.सं. म.सं.सं.सं.

उप निमित्त
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

(6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसें रटाप शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।

(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।

(i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।

(ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।

(iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

| खाता सं० | खसरा सं० | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भूमि का विवरण, यदि गठ सर्वेक्षण संख्या का मांग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए) | भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में) | भूमि पर खड़ी फसल | |
|----------|---------------------|--------------------------|--|--|------------------|--|
| | | | | | विवरण | मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में) |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 00121 | 124 खसरा | 0.025 | - | 550000.00 | - | - |
| 00120 | 216 खसरा | 0.12825 | - | 2777500.00 | | |
| 00121 | 218 खसरा | 0.01275 | - | 280500.00 | | |

| भूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण | | देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9) | व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---|-----------------|---------------------------------|
| विवरण | मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में) | | नाम | पिता/पति का नाम | पता |
| 08 | 09 | 10 | 11 | | |
| - | - | 3608000.00 | राम सज्जिन | बाबूलाल | फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या। |



नि.सं. रामसज्जिन

उप निमित्त
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

विक्रय पत्र

पृष्ठी सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6059

वर्ष: 2023

प्रतिकूल - 3608000 स्टाम्प शुल्क - 252560 आजारी मूल्य - 3608000 पंजीकरण शुल्क - 36080 प्रतिनिधिकरण शुल्क - 60 योग: 36140

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा
स्वर्णम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री शरद कुमार
पथवसाय: नौवारी
जिलासी अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या



स्वर्णम राज अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि


श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

ने यह लेखन इस कार्यालय में दिनांक 20/09/2023

एवं 03:08:59 PM बजे

निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


राजेंद्र सिंह

उप निबंधक सोहावल

अयोध्या

20/09/2023

निबंधक लिपिक

20/09/2023

प्रिंट करे



नोट :- मैने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।


- मुख्तगी/भुख्तगीयों के हस्तक्षर

| क्र० सं० | नाम | पिता/पति का नाम | पता | हस्तक्षर |
|----------|------------|-----------------|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | राम राजीवन | बकूलाल | फिरोजपुर उपखण्ड चौहानल अयोध्या। |  |

गवाह /अभिसाक्षी

| नाम | पिता/पति का नाम | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता | हस्तक्षर |
|-----------|---------------------|--------------|---------|----------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ओम प्रकाश | श्री० राजबली प्रसाद | 7807778903 | नीकरी | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। | |

गवाह /अभिसाक्षी

| नाम | पिता/पति का नाम | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता | हस्तक्षर |
|------------|-----------------|--------------|---------|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| किशन कुमार | मंतरात | 9336590581 | मजदूरी | मिंदौर फिरोजपुर उपखण्ड नौदाल अयोध्या। |  |

क्रय निष्कार की ओर से अभिकृत,
 (सुनील राज)
 उपसचिव
 अयोध्या विकास प्राधिकरण,
 अयोध्या।



राम राजीवन

उपसचिव
 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

पृष्ठी सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6059

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि व प्रत्येकानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री राम सजीवन, पुत्र श्री बाबूलाल

निवासी: किरौजपुर उपरहार तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

क्रमा: 1



श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या व्यवसाय नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1



श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबती प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2




श्री किशन कुमार, पुत्र श्री गंतराम

निवासी: निंदरा किरौजपुर उपरहार तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

ने की। प्रत्यक्ष अद्वैत साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी:



रजिस्ट्री कृपा अधिकारी के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

उप निबंधक: सोहावल

अयोध्या


20/09/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या

20/09/2023

प्रिंट करें

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु विशिष्ट कुल आवासीय योजना हेतु वयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपखण्ड परगना मंगलशी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखालेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

| गा.सं.
सं० | विक्रेता का नाम | पिता/पति का नाम | विक्रेता का
अंश/विक्रय क्षेत्रफल | शपथकर्ता के हस्ताक्षर |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 124 मि | राम राजीवन | बाबूलाल | 0.025 |  |
| 215 अ | राम राजीवन | बाबूलाल | 0.12825 | |
| 216 क | राम राजीवन | बाबूलाल | 0.01275 | |

निष्पादन का दिनांक-
स्थान - सोहावल, अयोध्या।

उप 
अयोध्य विकास प्राधिकरण, अयोध्या



नि.अ. रामराजीवन

उप 
अयोध्य विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007411

वही संख्या 1 जिल्द संख्या 3133 के पृष्ठ 51 से 68 तक क्रमांक
6059 पर दिनांक 20/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


राहुल सिंह.

उप निबंधक : सोहावल

अयोध्या

20/09/2023

प्रिंट करे



②

~~38452+45450~~

11.11.11



Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

8 3908



Certificate No.
 Certificate Issued Date
 Amount Reference
 Unique Doc. Reference
 Purchased by
 Description of Document
 Property Description
 Consideration Price (Rs.)
 First Party
 Second Party
 Stamp Duty Paid By
 Stamp Duty Amount (Rs.)

: IN-UP14753124780024V
 : 15-Sep-2020 05:18 PM
 : NE/IMP/ACC 13/W/2014148004/ SOHAWAL/UP-FZB
 : SUBIN-UPUP1414200425139063587843V
 : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 : Article 23 Conveyance
 : GATA NO-41 AND OTHERS MAJJA-FIROZPUR PAR-BAGALSITEN
 : SOHAWAL DISTT-AYODHYA
 : BAJIYAN, URF BALU SO BUDHU AND OTHERS
 : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 : 4,59,000
 : (Four Lakh Fifty Eight Thousand Nine Hundred only)



निपु अशु 04

श्री 2 वषटा

निपु अशु

Subject B.A.

अशु अशु



कार्यालय उप निबंधक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समय विकास हेतु, राज्य कृषि आयासीय योजना प्राम- फिरोजपुर नगरपालिका क्षेत्र, जमीन भूमि का निम्न पकड़नों के माध्यम से आपसी जानकारी द्वारा विविध विलेख निम्नलिखित प्रकार से है -

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -- कृषि
- 2 - ग्राम का नाम - फिरोजपुर उपखण्ड -- पंचगा - नगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल, अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण -

| गाटा संख्या | गाटा की यूनिट आई.डी. | क्षेत्रफल (हेक्टर में) |
|-------------|----------------------|------------------------|
| 44 | 16626900440000 2 | 0.1390 |
| 79 | 16626900790000 2 | 0.1010 |
| 80 | 16626900800000 2 | 0.2280 |

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.1390, 0.1010 व 0.2280 हेक्टर

6 - विक्रीत सम्पत्ति की बौहदसी

| गाटा संख्या | विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टर में) | पूरुष | परिवार | रतार | वर्गिय |
|-------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 44 | 0.1390 | गाटा 44-1 व 44-2 | गाटा 44-40 व 44-41 | गाटा 44-42 | गाटा 44-43 व 44-44 |
| 79 | 0.1010 | गाटा 79-76 व 79-77 | गाटा 79-78 | गाटा 79-79 | गाटा 79-80 व 79-81 |
| 80 | 0.2280 | गाटा 80-82 | गाटा 80-83 | गाटा 80-84 | गाटा 80-85 व 80-86 |

श्रीरविवरा

महेश्वर

6.11

उप सचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण

| प्लॉट संख्या | विक्रेता क्षेत्रांक (डिस्टेंस में) | विक्रेता का नाम | पिता/पति का नाम | विक्रेता का अंग (डिस्टेंस में) | भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का (1% सेलैब्ररी) प्रतिशत दर का 4 गुना | प्रतिफल की राशि |
|--------------|------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 44 | 0.1390 | बलराम उर्फ बल्लू | बुई | 0.0695 | 873000.00 | 873000.00 |
| 44 | 0.1390 | शिवकृष्ण | कामजस | 0.0347 | 435500.00 | 435500.00 |
| 44 | 0.1390 | सुनी देवी | शंकर प्रसाद शर्मा | 0.0087 | 121800.00 | 121800.00 |
| 44 | 0.1390 | महेश चरण | शंकर प्रसाद शर्मा | 0.0087 | 121800.00 | 121800.00 |
| 44 | 0.1390 | सुदीप चरण | शंकर प्रसाद शर्मा | 0.0087 | 121800.00 | 121800.00 |
| 44 | 0.1390 | आनंद शरण | शंकर प्रसाद शर्मा | 0.0087 | 121800.00 | 121800.00 |
| 79 | 0.1010 | बलराम उर्फ बल्लू | बुई | 0.0505 | 607000.00 | 607000.00 |
| 79 | 0.1010 | शिवकृष्ण | कामजस | 0.0253 | 304200.00 | 304200.00 |
| 79 | 0.1010 | सुनी देवी | शंकर प्रसाद शर्मा | 0.0033 | 38200.00 | 38200.00 |
| 79 | 0.1010 | महेश चरण | शंकर प्रसाद शर्मा | 0.0033 | 38200.00 | 38200.00 |
| 79 | 0.1010 | सुदीप चरण | शंकर प्रसाद शर्मा | 0.0033 | 38200.00 | 38200.00 |
| 79 | 0.1010 | आनंद शरण | शंकर प्रसाद शर्मा | 0.0033 | 38200.00 | 38200.00 |
| 80 | 0.2280 | बलराम उर्फ बल्लू | बुई | 0.114 | 1598000.00 | 1598000.00 |
| 80 | 0.2280 | शिवकृष्ण | कामजस | 0.057 | 799000.00 | 799000.00 |
| 80 | 0.2280 | सुनी देवी | शंकर प्रसाद शर्मा | 0.0143 | 200200.00 | 200200.00 |
| 80 | 0.2280 | महेश चरण | शंकर प्रसाद शर्मा | 0.0143 | 200200.00 | 200200.00 |
| 80 | 0.2280 | सुदीप चरण | शंकर प्रसाद शर्मा | 0.0143 | 200200.00 | 200200.00 |
| 80 | 0.2280 | आनंद शरण | शंकर प्रसाद शर्मा | 0.0143 | 200200.00 | 200200.00 |
| | | | | | कुल प्रतिफल | 65,65,200.00 |

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का वितरण - रु. 458900.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का वितरण --

| विक्रेता का नाम | पिता/पति का नाम | आधार संख्या | पैन कार्ड संख्या | मीमाइल नम्बर | व्यवसाय | राशि |
|------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|---------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| बलराम उर्फ बल्लू | बुई | 490224840587 | | 9621902602 | बुई | विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) की राशि |

विक्रेता: बलराम उर्फ बल्लू

 जस्टिस: अहंदा शर्मा

 जस्टिस: S. V. Anand

 जस्टिस: उपस्थित

 अधिकारी: अधिकारी विकास प्राधिकरण, अयोध्या

| | | | | | | |
|-------------|-------------------|--------------|------------|------------|-----|--------------------------|
| मुली देवी | शरद प्रताप काश्यप | 429028847402 | CYJPD3503R | 7296952703 | रुई | विशेष न्याय कोर्ट अर्पित |
| गणेश शंकर | शरद प्रताप काश्यप | 323622575048 | A8KPY0332Q | 7296952703 | रुई | विशेष न्याय कोर्ट अर्पित |
| सतीश शंकर | शरद प्रताप काश्यप | 233321590942 | ABUPY8754G | 7296952703 | रुई | विशेष न्याय कोर्ट अर्पित |
| शान्ता शंकर | शरद प्रताप काश्यप | 564656078873 | AJ7PY6461D | 7296952703 | रुई | विशेष न्याय कोर्ट अर्पित |

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

| क्रेता का नाम | पिता/पति का नाम | आधार संख्या | पैन कार्ड संख्या | मोबाइल नम्बर | पता |
|--|-----------------|-------------|------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज समस्तिक अर्पित विकास प्राधिकरण अयोध्या। | श्री शरद कुशर | | AAALAD208C | 7807778911 | अयोध्या विकास प्राधिकरण अर्पित अयोध्या। |

11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त संपत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण स्वत्व में कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई क्रेता एवं अन्य प्रकार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालतों अर्पित न किया गया है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय दान कथन अनुभव में आय प्रकार से हस्तान्तरण बंधन दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। उक्त विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उक्त प्रभारों का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व अर्पित, मुक्ति के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की दिशा में भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में स्थित हो चुका है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा आनाम आने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। द्वितीय पक्ष, उसके उत्तरदायी एवं वांछित किसी प्रकार की बाधा नहीं लावेगा।

श्री शरद



उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

2

4

- क- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुमान-11 लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और इस विक्रय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निर्धारित किए जाने गला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अधिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- ख- गाटा संख्या-के मूल, छातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अर्थात् बेकास प्राधिकरण, अधोध्या, उओप्रो के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा कुआकों को पुनर्दान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ग- सम्बन्धिता भू-स्वामियों से संलग्न प्राणम सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं मूल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक से लागू सक्रिय दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

12- भुगतान का विवरण -

| क्र 0 | विक्रेता का नाम | पिता/पति का नाम | बैंकका नाम/ शाखा का नाम | IFSC Code | खाता संख्या | धनराशि |
|-------|-----------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | जयराज उर्फ राजू | कुंद | राजीव सुनील राष्ट्रीय बैंक अधोध्या | BARB06UPGBX | 55300100002048 | 3278000000 |
| 2 | शंकरलाल | सुमलता | राजीव सुनील प्राणम बैंक अधोध्या | BARB06UPGBX | 55300100002092 | 0638730000 |
| 3 | कुनी देवी | शंकरलाल मंडम | राजीव सुनील राष्ट्रीय बैंक अधोध्या | BARB06UPGBX | 553001000015405 | 4100300000 |
| 4 | महेश कुमार | सुमलता प्रकाश कुमार | राजीव सुनील राष्ट्रीय बैंक अधोध्या | BARB06UPGBX | 553001000009908 | 6100300000 |
| 5 | सतीश कुमार | शंकरलाल प्रमोद राय | स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया अधोध्या | SBIN0000075 | 200391806526 | 4100300000 |
| 6 | अनन्त कुमार | शंकरलाल प्रमोद कुमार | राजीव सुनील राष्ट्रीय बैंक अधोध्या | BARB06UPGBX | 55300100001570 | 4100300000 |

मूल धनराशि शब्दों में- पित्त लाख पच्चीस हजार पांच सौ रुपये मात्र

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पदाह कार्य किल्ल के अन्तर्गत्त BARB06UPGBX के माध्यम से कर दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उक्त कोई भी उत्तरदायित्वी उक्त विक्रय धनराशि को जमा किया जाने किरी की सम्पत्ति अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी अनाहक में दावा करेगा। यदि विक्रेता को बुद्धिवा अथवा धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा सेक्टर जमाविक धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बाह्य प्रतिहत प्रतिपक्ष की दा से सु-रजवा में कोई हस्तान का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अधिकृत करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त उक्त सम्पत्ति को मूल पक्ष के स्टाफिल/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और उक्त पक्ष उक्त सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिहत प्रथा करने सम्बन्धी स्विकारोक्ति के अन्तर्गत विवाद को निवारण किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित सम्पत्ति अथवा एवं कुली के सम्बन्ध सम्बन्ध मूल्य 13/04/15 के

शंकरलाल
 महेश कुमार
 उप सचिव
 ग्रामीण विकास प्राधिकरण, अयोध्या

प्रथम साक्षी विवरण :-
हस्ताक्षर

| नाम | पिता/पति का नाम | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता |
|-----------|--------------------|--------------|---------|-------------------------------------|
| ओम प्रकाश | स्व. राजबली प्रशरद | 7807178913 | नीकरी | डी. वैदही नगर धाजली हाह्वर्गल शरीर। |

द्वितीय साक्षी विवरण :-
हस्ताक्षर

| नाम | पिता/पति का नाम | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता |
|-------------|-----------------|--------------|---------|------------------------------|
| गर्वीस बाबु | बलराम बाबु | 9821322602 | इंजीनर | विशालकर्मपुर, तालुका, जयपुर। |

शारणादेश संख्या - राजस्व अनुभाग - 13 संख्या - 2/2015/215 एवं - 13-2015-20(93)/2015 दिनांक 19 मार्च, 2015 मूखामी / भूस्वामियों और क्रय निष्काश के बीच लोक प्रयोजनों के लिए सक्षमता बना भूले क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला स्थर्षता - पत्र (प्राकण संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का / है पूर्ण स्वामी है / है शिल प्राप्त सल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंश में एतद्द्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतद्पश्चात् भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे एतद्पश्चात् क्रय निष्काश कहा गया है) के मध्य एतद्द्वारा हस्ताक्षरित / निष्पादित किया गया है।

भूमि सल्लिखित पक्षवार भूमि के सापेक्ष क्षेत्र दर तथा कुल भूमि मुख्य एवं सहायक भू/के क्षेत्रवा विवरण अनुसूची में दिया गया है।

राजबली प्रशरद

गर्वीस बाबु

अयोध्या

उप सचिव

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



- (1) यह कि क्रय विक्रय इस समझौता पत्र के निष्पादन की दिशि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना कार्यवाही करने में अक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय विक्रय भूमि का दुरन्त कब्जा लेना आवश्यक सम्भलता है तो वह/वे ऐसा करने का हक्कार होगा/होंगे, मले ही इस का फलाल खडी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर नीर कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि को/ने कम्यन्व रूप से हक्कार नहीं है/हैं और क्रय विक्रय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति का किसी परीक्षण का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि जो क्रय विक्रय द्वारा अध्याहित की जाय, नांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी अन्धे या अतिकर या उसके भाग के क्रय विक्रय/राज्य सरकार को (सयुक्त और पृथक्) भूमि का कब्जा और उठाई गई किसी भूमि या नुकसान को सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध छरे/उनको भुगतान के कारण क्रय विक्रय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभाव या व्यय को परी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय विक्रय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभाव या व्यय की सभी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 15 प्रतिशत की दर पर और पश्चात्वावर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्णवर्ती पैसा में उल्लिखित धनराशि क्रय विक्रय को वापस करने में असमर्थ रहता है/रहते हैं तो क्रय विक्रय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के उपादे के रूप में प्रकृत करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रकृत किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का अधिकार देने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वितीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उक्त भूस्वामी को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।
- (6) क्रय विक्रय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अन्तर्गत उक्त अध्याहित आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके प्रतीकरण/विक्रय सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय विक्रय द्वारा वहन किया जायेगा।
- (7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय विक्रय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- (8) क्रय विक्रय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिनों का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।
 - (i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कर्णपूर्ण व्यवहार करने सम्पादित करता है।
 - (ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
 - (iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के पश्चात् यह प्रकट होता है कि अनुसूची में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

श्री 2/20/54

श्री 2/20/54

श्री 2/20/54

उप सचिव
अर्थोत्थ विकास प्राधिकरण, अयोध्या



विद्वान सं०: 202300904007252

वित्तपत्र पत्र

वर्ष: 2023

रजिस्ट्रेशन सं०: 5908

वही सं०: 1

प्रतिफल - 6555300 स्टारप शुल्क - 458920 बाजार मूल्य - 6556000 पंजीकरण शुल्क - 65560 प्रतिनिधिकरण शुल्क - 50 पोग - 65620

श्री अयोध विकास प्राधिकरण द्वारा
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पु० श्री शरद कुमार
आवस्य नीकरी
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या




(Signature)
स्वर्णिम राज अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

श्री, अयोध विकास प्राधिकरण द्वारा
ने यह लेखपत्र इस कार्यलय में दिनांक 15/09/2023 एवं
06:01:14 PM बजे
निबन्धन हेतु भेज किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
(Signature)
सहायक निबंधक
अयोध्या
15/09/2023
निबंधक लिपिक
15/09/2023

छिट करे



ग्राम- फिरोजपुर जपरहार, परगना- नगलासा

दिनांक- 01/01/2022

| खता सं० | खसरा सं० | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भूमि का विवरण, यदि यह कतौकण संख्या का भाग हो (घातों सीमाओं और लगी हुई भूजमाती का रवा मेल प्रदर्शित करने हुए) | भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में) | भूमि पर रखी करण विवरण | मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में) |
|---------|----------|--------------------------|--|--|-----------------------|--|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 00059 | 44 | 0.1390 | - | 1916000.00 | - | - |
| 00059 | 79 | 0.1010 | - | 1414000.00 | - | - |
| 00059 | 80 | 0.2280 | - | 3192000.00 | - | - |


| भूकृद्द अन्य सम्पत्ति का विवरण | | देय कुल मूल्य (योग कौलन-5, 7, 9) | व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण | | |
|--------------------------------|--|----------------------------------|---|-----------------|-----------------------------|
| विवरण | मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में) | | नाम | पिता/पति का नाम | पता |
| 08 | 09 | 10 | | | |
| | | | शरद कर्क | शरद | पुस्तकालय, फिरोजपुर, जपरहार |
| | | | सुनील | सुनील | फिरोजपुर, जपरहार |
| | | | मुनी देवी | शरद शरण देवी | फिरोजपुर, जपरहार |
| | | | शरद शरण | शरद शरण देवी | पुस्तकालय, फिरोजपुर, जपरहार |
| | | | शरद शरण | शरद शरण देवी | पुस्तकालय, फिरोजपुर, जपरहार |
| | | | शरद शरण | शरद शरण देवी | पुस्तकालय, फिरोजपुर, जपरहार |

नोट :- मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निम्नलिखित किराये जन्मे जाने वाले इन समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर मही/पत्नी/पति सम्मिलित किया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

• भूजमाती/भूजमातियों के हस्ताक्षर

| सं० | नाम | पिता/पति का नाम | पता | हस्ताक्षर |
|-----|-----|-----------------|-----|-----------|
|-----|-----|-----------------|-----|-----------|

शरद कर्क शरद शरण शरद शरण देवी शरद शरण देवी



उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण

श्री अयोध विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राव, पुत्र श्री
रामद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या
व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। धितकी पहचान
पहचानकर्ता: 1



श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री लालकृष्ण प्रसाद

निवासी: डी वेहेही नगर कालोनी सहयोग अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2



श्री मंजीत यादव, पुत्र श्री बलराम यादव

निवासी: चिरा मोहनपुर तहसील सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र राक्षिणी के निशान अंगूठे लिप्यानुसार
सिद्ध है।
दिखायी:




रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[Signature]
राहुल सिंह
उपनिबंधक: सोहावल
अयोध्या

15/09/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या
15/09/2023

मिड करें



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | वसुदेव लक्ष्मण बालू | 33 | विदर्भोद्योगपुर सोहळा अयोग्या। |
| 2 | शरदाबा | शरदाबा | विदर्भोद्योगपुर सोहळा अयोग्या। |
| 3 | सुनी देवी | शरदा प्रसाद बाबा | विदर्भोद्योगपुर सोहळा अयोग्या। |
| 4 | पंडित गान्ध | शरदा प्रसाद बाबा | विदर्भोद्योगपुर सोहळा अयोग्या। |
| 5 | सुनी देवी | शरदा प्रसाद बाबा | विदर्भोद्योगपुर सोहळा अयोग्या। |
| 6 | कान्हो पांडे | शरदा प्रसाद बाबा | विदर्भोद्योगपुर सोहळा अयोग्या। |

गवाह / अभिसाधी

| नाम | पिता/पति का नाम | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता | हस्ताक्षर |
|-----------|-------------------|--------------|---------|---------------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ओम प्रकाश | मधु राजबली प्रसाद | 7807776803 | गीकर | डी. रंजिती नगर काराणी शहराबा अयोग्या। | |

गवाह / अभिसाधी

| नाम | पिता/पति का नाम | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता | हस्ताक्षर |
|-----------|-----------------|--------------|---------|--------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| भजीत बाबा | वसुदेव बाबा | 9621322102 | गाईक | विदर्भोद्योगपुर सोहळा अयोग्या। | |



वसुदेव बाबा



वसुदेव बाबा
विदर्भ विकास प्राधिकरण, अयोग्या
काराणी शहराबा

उप शरिद
अयोग्या विकास प्राधिकरण, अयोग्या

शरदाबा

मधु राजबली

ओम प्रकाश



वर्ती सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 5908

दि०: 2023

निष्पादन लेखपत्र बाध सुनने व समझने मजबुत व प्राप्त धनराशि रु प्रदेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री कतराण उर्फ बल्लू, पुत्र श्री बुद्धू

निवासी: चिरा मोहम्मदपुर तहसील जयधाम

व्यवसाय: कृषि

विक्रेता: 2



श्री शेर बका, पुत्र श्री राग बका

निवासी: चिरा मोहम्मदपुर तहसील जयधाम

व्यवसाय: कृषि

विक्रेता: 3

शेर बका



श्रीमती मुन्नी देवी, पत्नी श्री शारदा प्रसाद यादव

निवासी: चिरा मोहम्मदपुर तहसील जयधाम

व्यवसाय: कृषि

विक्रेता: 4



श्री महेश यादव, पुत्र श्री शारदा प्रसाद यादव

निवासी: चिरा मोहम्मदपुर तहसील जयधाम

व्यवसाय: कृषि

विक्रेता: 5

महेश यादव



श्री संदीप यादव, पुत्र श्री शारदा प्रसाद यादव

निवासी: चिरा मोहम्मदपुर तहसील जयधाम

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 6

S.P.




श्री अनन्द यादव, पुत्र श्री शारदा प्रसाद यादव


निवासी: चिरा मोहम्मदपुर तहसील जयधाम

व्यवसाय: कृषि

विक्रेता: 7

Anand Yadav





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CN 121147

यह स्टाम्प बालराम कृष्ण बालू झा
का भाग है।



इंद्र बकशी



वि. उन्नी देवी

कानपुर के कानूनी सेवा प्रदाता
 उ.म. श्रीमती अमिताभ अग्रवाल
 (कानूनी सेवा) Demandyadav





दि० ११/२३/२०१९ रजि० नं० की० ५०१, बाले
 नाम जेता
 शा० नं०
 स्टम्प विक्रेता-लियाकत हुसैन ल० नं० ७६
 दि०: स्थान-उप निदेशक कार्यालय, सोडवत-अवधिया
 अर्पण वर्ष-२०२३ से २०२४ तक

अर्पण करी श्रेष्ठ प्रमुख स्वामीमंशु

अर्पण

(Handwritten signature)

मंगलूर तहसिल सोहाबन जनपद - अयोध्या जिल्हा मूग का प्रकल्प क्र. ३३ का ६वां चरण का निष्काशनकाय की भूमि में अपने हिससे कें अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सन्तान में होता है तो इस सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

| गाटा सं० | विक्रेता का नाम | पिता/पति का नाम | विक्रय का अंश/विक्रय का फल | सम्बन्धित के हस्ताक्षर |
|----------|-----------------|-----------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | बलराम वर्मा बरु | शुभ | 0.0808 |  |
| 44 | शैलेश | शरदा | 0.0847 | 2/2 वर्मा |
| 44 | मुनी देवी | शरदा शंकर शर्मा | 0.0087 |  |
| 44 | महेश शर्मा | शरदा शंकर शर्मा | 0.0087 | महेश शर्मा |
| 44 | सदीप शर्मा | शरदा शंकर शर्मा | 0.0087 | S.H. |
| 44 | आनन्द शर्मा | शरदा शंकर शर्मा | 0.0087 |  |
| 79 | बलराम वर्मा बरु | शुभ | 0.0505 |  |
| 79 | शैलेश | शरदा | 0.0253 | 2/2 वर्मा |
| 79 | मुनी देवी | शरदा शंकर शर्मा | 0.0084 |  |
| 79 | महेश शर्मा | शरदा शंकर शर्मा | 0.0084 | महेश शर्मा |
| 79 | सदीप शर्मा | शरदा शंकर शर्मा | 0.0084 | S.H. |
| 79 | आनन्द शर्मा | शरदा शंकर शर्मा | 0.0084 |  |
| 80 | बलराम वर्मा बरु | शुभ | 0.14 |  |
| 80 | शैलेश | शरदा | 0.057 | 2/2 वर्मा |
| 80 | मुनी देवी | शरदा शंकर शर्मा | 0.0143 |  |
| 80 | महेश शर्मा | शरदा शंकर शर्मा | 0.0143 | महेश शर्मा |
| 80 | सदीप शर्मा | शरदा शंकर शर्मा | 0.0143 | S.H. |
| 80 | आनन्द शर्मा | शरदा शंकर शर्मा | 0.0143 |  |

निष्काशन का दिनांक -
स्थान - सोहाबन, अयोध्या।



उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



आवेदन सं०: 202300904007252

बही संख्या । जिल्द संख्या 3127 के पृष्ठ 219 से 238 तक क्रमांक
5908 पर दिनांक 15/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


राहुत सिंह
उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
15/09/2023





INDIA NON JUDICIAL



48

Government of Uttar Pradesh

DU:UP14753124788024V

e-Stamp

8 5908



| | |
|---------------------------|---|
| Certificate No. | : IN-UP14753124788024V |
| Certificate issued Date | : 16-Sep-2023 05:18:PM |
| Account Reference | : NEWMPAGE (SV) up14148004/SONAWAL/UP-28 |
| Unique Doc. Reference | : SUBIN-UPUP1414800425139083587543V |
| Purchased by | : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA |
| Description of Document | : Article 28 Conveyance |
| Property Description | : GATA NO 44 AND OTHERS MAJJA-FIROZI PUR BAR, MAJJALES, TEH-SONAWAL DISTT. AYODHYA. |
| Consideration Price (Rs.) | : 4,58,900/- |
| First Party | : BALDAM URF BALU SO BUDHU AND OTHERS |
| Second Party | : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA |
| Stamp Duty Paid By | : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA |
| Stamp Duty Amount(Rs.) | : 4,58,900
(Four Lakh Fifty Eight Thousand Nine Hundred only) |



निप अक्षय


शेरवर्मा

मि. राजेश कुमार

श. 28

महेश कुमार

0007065699



1952

L. K. ...



पत्र

कार्यालय उप निबंधक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समय विकास हेतु वरिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपखण्ड हेतु चयनित भूमि का निम्न पदाकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम - फिरोजपुर उपखण्ड -, परगना - मंगलसौं
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल , अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण-

| गाटा संख्या | गाटा की युनिट आई.डी. | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| 44 | 166269004400000*2 | 0.1390 |
| 79 | 166269007900000*2 | 0.1010 |
| 60 | 166269006000000*2 | 0.2280 |

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.1390, 0.1010 व 0.2280 हेक्टा

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहदारी

| गाटा संख्या | विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | पूरब | पश्चिम | उत्तर | दक्षिण |
|-------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|
| 44 | 0.1390 | गाटा सं-78 व 82 | गाटा सं-40 व 43 | गाटा सं-45 | गाटा सं- 81 व 84 |
| 79 | 0.1010 | गाटा सं-76 व 77 | गाटा सं-44 | गाटा सं-38 | गाटा सं-80 |
| 60 | 0.2280 | गाटा सं-81 | गाटा सं-46 | गाटा सं-75 | गाटा सं-83 व 82 |


श्रीरक्षिता

निष्पादित मंडल अधिकारी

6.11


उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

Handwritten marks or characters in the top right corner.



Handwritten marks or characters in the bottom left corner.





| क्र.सं. | श्रेणी | आधार संख्या | पैन कार्ड संख्या | मोबाइल नंबर | पक्ष | पता |
|---------|---------|--------------|------------------|-------------|------|------------------------------|
| 1 | अयोध्या | 933678874152 | HCGPB6117N | 9793014719 | पक्ष | वि.वि.वि.महापुरी
अयोध्या। |
| 2 | अयोध्या | 429028847402 | CYJPD3503R | 7296952703 | पक्ष | वि.वि.वि.महापुरी
अयोध्या। |
| 3 | अयोध्या | 323622575643 | ABKPYC132Q | 7296952703 | पक्ष | वि.वि.वि.महापुरी
अयोध्या। |
| 4 | अयोध्या | 133321590542 | ABUPY8764G | 7296952703 | पक्ष | वि.वि.वि.महापुरी
अयोध्या। |
| 5 | अयोध्या | 564656078873 | AIYPY6461D | 7296952703 | पक्ष | वि.वि.वि.महापुरी
अयोध्या। |

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-


| क्रेता का नाम | पिता/पति का नाम | आधार संख्या | पैन कार्ड संख्या | मोबाइल नंबर | पदनाम | पता |
|--|-----------------|-------------|------------------|-------------|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वयंसेवा राज सप्लायर अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। | श्री शरद कुमार | | AAALA0206C | 7307778911 | सप्लायर अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। |

11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिन पर कोई ऋण व अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में लिखबन्द है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, शन, बंधक अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के सम्स्त पभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी नुति के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में स्थित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा सन्भाल अपने इच्छानुसार कर सकेंगे। प्रथम पक्ष, उसके उत्तरदायी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं करेंगे।

श्री शरद कुमार

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी अस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शारनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 संकित अनुमान-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और अन्य निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये सम्पत्तियों द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु नियतित क्रय जाने वाला सगङ्गीता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अथवा विक्रय प्राधिकरण, अयोध्या, ज०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर उस्ताद कर देने का वही लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

12- भुगतान का विवरण -

| क्र. 0 | विक्रेता का नाम | पिता/पति का नाम | बैंक का नाम/ शाखा का नाम | IFSC Code | घाता संख्या | धनराशि |
|--------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | राजेश चक्रवर्ती | रवि | बड़वा सुभाषि ग्रामीण बैंक अयोध्या | BARB0BUPGBX | 55300100002343 | 2278000.00 |
| 2 | अशोक | समराज | बड़वा सुभाषि ग्रामीण बैंक अयोध्या | BARB0BUPGBX | 55300100002082 | 1632700.00 |
| 3 | सुनील शर्मा | शारदा प्रसाद शर्मा | बड़वा सुभाषि ग्रामीण बैंक अयोध्या | BARB0BUPGBX | 55300100005406 | 410230.00 |
| 4 | महेश शर्मा | शारदा प्रसाद शर्मा | बड़वा सुभाषि ग्रामीण बैंक अयोध्या | BARB0BUPGBX | 55300100000908 | 410230.00 |
| 5 | सतीश शर्मा | शारदा प्रसाद शर्मा | स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया अयोध्या | SBIN0000075 | 20039185526 | 410230.00 |
| 6 | अनन्त शर्मा | शारदा प्रसाद शर्मा | बड़वा सुभाषि ग्रामीण बैंक अयोध्या | BARB0BUPGBX | 553001000021870 | 410230.00 |

कुल धनराशि राबको में- [सित्त लाख पच्चस हजार पैंचा सौ रुपये मात्र]



उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के प्रतिफल अथवा किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए ज़ावा नहीं करेगा और न ही किसी व्यापारिक में तार बाध करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिबश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तब विक्रेता उचित धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बाक प्रतिसत प्रतिवर्ष की दर से भू-दखलाने की नति दरूकने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पत्र के स्वामिन्/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण उचितता प्राप्त करने सम्बन्धी कार्यवाही के पत्राचार विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र के उपरोक्त उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साथ स्वतन्त्र दोनों पक्षों ने

उप सचिव
 नयापन विकास प्राधिकरण, अयोध्या



इस पर बिना किसी इबादत अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो तर्कों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

| नाम | पिता/पति का नाम | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता |
|-----------|-----------------------|--------------|---------|--------------------------------------|
| ओम प्रकाश | श्री 0 राजचेली प्रसाद | 7807778903 | लैकरी | डी- ईछेही नगर कालोनी शहबनोद अयोध्या। |

द्वितीय साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

| नाम | पिता/पति का नाम | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता |
|-------------|-----------------|--------------|---------|--------------------------------|
| रघुवंत यादव | बलराम यादव | 9621322602 | शाहीपर | बिर्सेनीइमरपुर सोहनवा अयोध्या। |

शासनानुदेश संख्या -राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एफ -13-2015-20(92)/2019 दिनांक 19 मार्च, 2016 भूस्वामी /भूस्वामियों और अन्य विकास के बीच लोक प्रयोजनों के लिए सन्तुष्टी प्राप्त भूमि कब्र किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (आरूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिला आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात् भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात् अन्य निष्पादित कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षों के सम्पत्ति क्षेत्र दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।


श्री 0 राजचेली

अयोध्या विकास प्राधिकरण

04 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



और चूँकि भूस्वामी अग्रोतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूखंड कोई बात या भूखंड किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातों क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकती। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र को निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि को तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फलाल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिशत की संपूर्ण धनराशि का/के अन्वय्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिशत का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी बड़े या प्रतिशत या उसके भाग के क्रय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त और पृथक्कर) इतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान को सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनकी भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रकार या व्यय की गयी धनराशि पर उरो/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रकार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिये 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को फलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देव/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण सक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जाएगा।
- (6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के बीच हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निकालन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।
- (7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- (8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।
 - (i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कम्पटपूर्ण ध्यान करके सम्पादित कराया है।
 - (ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
 - (iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

रिश्ता

महेश चौरा

5-11



उप सचिव
अयोध्य विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 282300984007252

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 5908

वर्ष: 2023

प्रतिफल - 6555700 स्टाम्प शुल्क - 458900 बाजारी मूल्य - 6556000 पंजीकरण शुल्क - 65560 प्रतिनिधिकरण शुल्क - 60 योग - 65620

श्री अयोध विकास प्राधिकरण द्वारा
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी, प्रतिनिधि,
पुत्र श्री धरद कुमार
जबसाय: नौकरी
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या




स्वर्णिम राज अधिकृत
पदाधिकारी, प्रतिनिधि

श्री अयोध विकास प्राधिकरण द्वारा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 15/09/2023 एवं
06:21:14 PM बजे
निबंधन हेतु भेजा किया।


रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का हस्ताक्षर


रजनी रानी

उपनिबंधक सोहायल
अयोध्या
15/09/2023

निबंधक लिपिक
15/09/2023

प्रिंट करें



अनुसूची

ग्राम— फिरोजपुर उपरहार, परगना— मगलसी तहसील— सोहावल जिला— अयोध्या

| खता सं० | खसरा सं० | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भूमि का विवरण, यदि यह अवैध संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूदागी का समाहित प्रदर्शित करने हुए) | भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में) | भूमि पर उड़ी फसल विवरण | मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में) |
|---------|----------|--------------------------|---|--|------------------------|--|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 00059 | 44 | 0.1390 | - | 1946000.00 | - | - |
| 00059 | 79 | 0.1010 | - | 1414000.00 | - | - |
| 00059 | 80 | 0.2280 | - | 3192000.00 | - | - |

| भूदाग अथवा सम्पत्ति का विवरण | | देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 8) | व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिभाष | | |
|------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| विवरण | मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में) | | नाम | पिता/पति का नाम | पता |
| 08 | 09 | 10 | 11 | | |
| - | - | - | बलराम लाल शर्मा | 3-3 | फिरोजपुर उपरहार तहसील |
| - | - | - | शेरबहादुर | राजपुर | फिरोजपुर उपरहार तहसील |
| - | - | - | सुनी देवी | शारदा प्रसाद शर्मा | फिरोजपुर उपरहार तहसील |
| - | - | - | महेश शर्मा | शारदा प्रसाद शर्मा | फिरोजपुर उपरहार तहसील |
| - | - | - | सुनी देवी | शारदा प्रसाद शर्मा | फिरोजपुर उपरहार तहसील |
| - | - | - | अनन्द शर्मा | शारदा प्रसाद शर्मा | फिरोजपुर उपरहार तहसील |

नोट :— मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित सगस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर मनी-भाति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।


• भूदागी/भूदागियों के हस्ताक्षर

| क्र० | नाम | पिता/पति का नाम | पता | हस्ताक्षर |
|------|-----|-----------------|-----|-----------|
|------|-----|-----------------|-----|-----------|

उप सचिव
 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

श्री अयोध विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राय, पुत्र श्री
यारद कुमार


निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या
व्यवसाय: नौकरी



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1

श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजदत्त प्रसाद

निवासी: झी वैलेही नगर कालोनी साईबाबा अयोध्या
व्यवसाय: नौकरी
पहचानकर्ता: 2



श्री मजीद यादव, पुत्र श्री बलराम यादव

निवासी: चिरा मोहम्मदपुर तहसील अयोध्या
व्यवसाय: व्यापार



म-जीद यादव

रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर


राहुल सिंह
उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या

ने की। प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष साक्षियों के निश्चय-आंशुडे नियमानुसार
लिखित है।
दिप्पणी:

15/09/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या
15/09/2023

टिप्पणी



13-

| सं० | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------|
| 1 | बलराम शर्मा यादव | पुत्र | विरगोहम्मदपुर सोहवाल अयोध्या। | | |
| 2 | हरिचन्द्र | पुत्र | विरगोहम्मदपुर सोहवाल अयोध्या। | | श्रीहरिचन्द्र |
| 3 | दुर्गा देवी | शारदा प्रसाद यादव | विरगोहम्मदपुर सोहवाल अयोध्या। | | |
| 4 | नरेश यादव | शारदा प्रसाद यादव | विरगोहम्मदपुर सोहवाल अयोध्या। | | महेन्द्र यादव |
| 5 | भद्रीश यादव | शारदा प्रसाद यादव | विरगोहम्मदपुर सोहवाल अयोध्या। | | स.प. |
| 6 | अनन्द यादव | शारदा प्रसाद यादव | विरगोहम्मदपुर सोहवाल अयोध्या। | | |

गवाह / अभिसाक्षी

| नाम | पिता/पति का नाम | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता | हस्ताक्षर |
|------------|--------------------|--------------|---------|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| जोम प्रकाश | स्व. राजबली प्रसाद | 7607778903 | नौकरी | डी- पैपेडी नगर कालोनी शाहबगंज अयोध्या। | |

गवाह / अभिसाक्षी

| नाम | पिता/पति का नाम | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता | हस्ताक्षर |
|--------------|-----------------|--------------|----------|-------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| मन्दीरा यादव | बलराम यादव | 9621322602 | हाईस्कूल | विरगोहम्मदपुर सोहवाल अयोध्या। | बलराम यादव |



श्रीहरिचन्द्र

श्रीहरिचन्द्र



उप निवाह कोषाध्यक्ष से अधिवृत्त,
(नवगठित राज्य)
राजसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण,
राज्य

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

महेन्द्र यादव

स.प.



बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 5908

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजदुर व प्राप्त धनराशि रु प्रत्येकानुसार उपर

विक्रेता: 1

श्री बलराम रफ बल्लू, पुत्र श्री बुद्धू

निवासी: चिरा मोहम्मदपुर तहसीलावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

विक्रेता: 2

श्री शेर बख्त, पुत्र श्री राम जस

निवासी: चिरा मोहम्मदपुर तहसीलावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

विक्रेता: 3

श्रीमती: मूही देवी, पत्नी श्री शारदा प्रसाद यादव

निवासी: चिरा मोहम्मदपुर तहसीलावल अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी

विक्रेता: 4

श्री महेश यादव, पुत्र श्री शारदा प्रसाद यादव

निवासी: चिरा मोहम्मदपुर तहसीलावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

विक्रेता: 5

श्री शंदीप यादव, पुत्र श्री शारदा प्रसाद यादव

निवासी: चिरा मोहम्मदपुर तहसीलावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार



विक्रेता: 6

श्री आनंद यादव, पुत्र श्री शारदा प्रसाद यादव

निवासी: चिरा मोहम्मदपुर तहसीलावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

विक्रेता: 1



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON-JUDICIAL


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CM 121147

यह श्रावण बलराम कर्फ बल्लु झाड़ि
का ठांश है।



इंद्र मंथरी



मुन्नी देवी

बलराम कर्फ बल्लु झाड़ि मुन्नी देवी मेहराशाह्व अयोध्या विकास प्रतिकरण, अयोध्या

उपस्थित

ड.ए. संदीप घाह्व अमन्य यादव

मेहराशाह्व

(मेहराशाह्व) Amankyadav

7



दि० 11/23/2023 तदि० 2099 को० 501 वासो
नाम केता

शा० नं० 36
स्वायत्त विभागा-लियाकत हुरीन नं० 36
दि०: प्रान-उपनिबन्धक कार्यालय, कोटाकला-उपौध्या
अवधि वर्ष-2023 से 2024 तक

अभिलेखा विवाह प्रविचरण अभिलेखा हाहा सचिव स्वायत्त सचि

अभिलेखा

[Handwritten signature]

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समय विकास हेतु वशिश्ट कृज आवासीय योजना हेतु कर्तवित भूमि हेतु इन लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्रन- मिश्रोजपर उपरहार कराना गवतली तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सचछानेकारी की भूमि में शपने हिरने के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि पविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिरने के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

| गाटा सं० | शिक्रेता का नाम | पिला/मति का नाम | विक्रेता का अश/विक्रित क्षेत्रफल | शपथकर्ता के इरतावर |
|----------|------------------|------------------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | मलराम उर्फ रत्नू | रत्नू | 0.0895 |  |
| 44 | शरवरा | अनन्त | 0.0347 | 2.12 वर्ग मी |
| 44 | मुन्नी देवी | शरदा प्रसाद यादव | 0.0087 |  |
| 44 | महेश यादव | शरदा प्रसाद यादव | 0.0087 | महेश यादव |
| 44 | सतीश यादव | शरदा प्रसाद यादव | 0.0087 | S.M |
| 44 | अनन्द यादव | शरदा प्रसाद यादव | 0.0087 | Anandya |
| 79 | मलराम उर्फ रत्नू | रत्नू | 0.0505 |  |
| 79 | शरवरा | अनन्त | 0.0253 | 2.12 वर्ग मी |
| 79 | मुन्नी देवी | शरदा प्रसाद यादव | 0.0064 |  |
| 79 | महेश यादव | शरदा प्रसाद यादव | 0.0064 | महेश यादव |
| 79 | सतीश यादव | शरदा प्रसाद यादव | 0.0064 | S.M |
| 79 | अनन्द यादव | शरदा प्रसाद यादव | 0.0064 | Anandya |
| 80 | मलराम उर्फ रत्नू | रत्नू | 0.114 |  |
| 80 | शरवरा | अनन्त | 0.057 | 2.12 वर्ग मी |
| 80 | मुन्नी देवी | शरदा प्रसाद यादव | 0.0143 |  |
| 80 | महेश यादव | शरदा प्रसाद यादव | 0.0143 | महेश यादव |
| 80 | सतीश यादव | शरदा प्रसाद यादव | 0.0143 | S.M |
| 80 | अनन्द यादव | शरदा प्रसाद यादव | 0.0143 | Anandya |


निष्पादन का दिनांक:-
स्थान - सोहावल, अयोध्या


उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007252

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3127 के पृष्ठ 219 से 238 तक क्रमांक 5908 पर दिनांक 15/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


सहल सिंह
उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
15/09/2023





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CM 123662

1

शुद्धि पत्र

मैं प्रथम पक्ष, मुन्नी देवी पत्नी शारदा प्रसाद यादव विक्रेता, व द्वितीय पक्ष, क्रेता, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित श्री स्वर्णिम राज उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या अभिकथन करता हूँ कि उपनिबन्धक सोहायल अयोध्या की वही संख्या 1 जिल्द संख्या

शुद्धि पत्र
दिनांक 12/05/2024
श्री स्वर्णिम राज उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण
अयोध्या

4-10
23 2407 88

नाम देता..... श्री ३०२१/३०३१ श्री ३०२१/३०३१ श्री ३०२१/३०३१ श्री ३०२१/३०३१

वटाण्य विवेका-लिवाकता मुसिन ला० नं० ६६

मिडिली स्थान-उपनिबन्धक व्यवसाय, लोहाकल-अधीका

अवधि वर्ष-2023 से 2024 तक

कारे २२०



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

88AE 294661

2

3127 के पृष्ठ 219 से 238 तक क्रमांक 5908 पर दिनांक 15.09. 2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया उक्त अपनी भूमि की गाटा सं० 44 क्षेत्र 0.1390 में से अपने अंश की भूमि गाटा सं० 44

4-10
दि० १० रजि० नं० ३५०३ सी० १०५ कास्ते

नाम देता.....
श्री० नं०..... २६०७

स्टाम्प दिफेंता-लियाफत हुसैन ला० नं० 86

वि० स्थान-उपनिबन्धक कार्यालय, लोहावस्त-अयोध्या

अवधि वर्ष-2023 से 2024 तक





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 3

88AE 294662

क्षे 0.0087 जिसका मूल्य 121800.00 (एक लाख इक्कीस हजार आठ सौ पचास रुपये) बनता है। उक्त धनराशि के स्थान पर त्रुटिबस 1218000.00 लिखा गया है जो कि गलत है, उक्त त्रुटि

4-10-2023 2459 (5) भारते

नाम केता.....
शा.नं०..... 2459
स्थान-सिवाकत हुसैन लॉ नं० 86
दिश-स्थान-उपनिबन्धक कार्यालय, सोलावर-अयोध्या
अवधि वर्ष-2023 से 2024 तक





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

88AE 294663

4

को सुधारकर कर 121800.00 होना चाहिए। उक्त शुद्धि पत्र पर हम प्रथम एवं द्वितीय पक्ष

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

88AE 294664

8

5

सहमत पूर्वक निम्नवत् अपने अपने हस्ताक्षर बनाया जो कि सनद रहे और रागय पर काम आये। उक्त शुद्धि पत्र को मूल्य दरतावेज का अंग माना जाये।

2

2

1

88

88

88

88

88

88

88


88

88

88

88

दि०..... रजि० नं०..... की० (५) वास्ते
नाम केता.....
श्री० नं०.....
इताना विवेका-लिखाकत हुसैन ता० नं० ८६
जिला स्थान-उपनिवायक कार्यालय, सौहावल-अयोध्या
अर्थात् वर्ष-२०२३ से २०२४ तक



भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु.10



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

88AE 294665

6

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

गवाह 1


गवाह 2

Handwritten notes or scribbles at the top right of the page.



4-10/23
दि०..... रजि० नं०..... की०..... माते
नाम प्रेता.....
शा० नं०.....
स्टाम्प दिशेता-लियाकत हुरीन ला० नं० 88
दि० न० स्थान-उपनिबन्धक कार्यालय, सोहदरत-अयोध्या
अर्थात् वर्ष-2023 से 2024 तक

Handwritten signature or stamp at the bottom of the page.





-2-



अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम -फिरोजपुर उपरहार ः. परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल, अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण-

| | | |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| गाटा संख्या | गाटा की यूनिट आई.डी. | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
| 209 | 1662690209000012 | 0.1700 |


5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल- 0.024 हेक्टेयर

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

| गाटा संख्या | विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | पूरब | पश्चिम | उत्तर | दक्षिण |
|-------------|----------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 209 | 0.024 | गाटा संख्या-212 | रास्ता 172 | गाटा संख्या-210 व 211 | गाटा संख्या-208 |

प्राधिकृत अधिकारी

उप निबन्धक
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

| गाटा संख्या | विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | विक्रेता का नाम | पिता/पति का नाम | विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में) | भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का (रु० हेक्टेयर) (सकिल दर का 4 गुना) | प्रतिफल की धनराशि |
|-------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 7 | 8 |
| 209 | 0.024 | राजिया शानो उर्फ राजिया बेगम | नौराज | 0.024 | 5,28,000.00 | 5,28,000.00 |
| | | | योग- | 0.024 | 5,28,000.00 | 5,28,000.00 |

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु० 36980.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -

| विक्रेता का नाम | पिता/पति का नाम | आधार संख्या | पैन कार्ड संख्या | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता |
|------------------------------|-----------------|----------------|------------------|--------------|---------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| राजिया शानो उर्फ राजिया बेगम | नौराज | 7404 7136 6852 | DCIPB5313L | 7398540506 | घरणी | वरमा तरन खास बालन फीजाबाद अयोध्या |

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

| क्रेता का नाम | पिता/पति का नाम | आधार संख्या | पैन कार्ड संख्या | मोबाइल नम्बर | पदनाम | पता |
|--|-----------------|-------------|------------------|--------------|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित सुश्री राज, उपसचिव, अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। | श्री शरद कुमार | | AAALA0296C | 7607778911 | उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। |

राजिया बेगम

उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या




11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार भकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के रामस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं आलेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शारानादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।


शांतिशा/लेगाम


उप-सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



12- भुगतान का विवरण -

| क्र
0 | विक्रेता
का नाम | पिता/पति
का नाम | बैंक का नाम
/ शाखा का
नाम | IFSC Code | खाता संख्या | धनराशि |
|----------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | राजिवा ग्रानो
उर्फ राजिवा
वेगम | नीरानंद | बैंक ऑफ इंडिया | BARBOSANFAI | 47520100001467 | 5,28,000.00 |
| | | | | | योग- | 5,28,000.00 |

कुल धनराशि शब्दों में-

(पांच लाख अट्ठाइस हजार रुपये मात्र)

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से संग्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को कुछिक्क अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से सू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।


13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करते सम्बन्धी त्योक्करोक्क के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त राशियों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवाश में निम्नलिखित दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।



राजिवा वेगम

उपस्थित
अचौथे विक्रय प्राधिकरण, अचौथे



14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर



| नाम | पिता/पति का नाम | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता |
|-----------|----------------------|--------------|---------|----------------------------------|
| ओम प्रकाश | श्री 0 राजबली प्रसाद | 7607778903 | नौकरी | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। |

द्वितीय साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

| नाम | पिता/पति का नाम | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता |
|-------|-----------------|--------------|---------|----------------------------------|
| साहित | श्रीशार | 7398540506 | श्री | सरभा सरम खास बारन, कैलाश अयोध्या |



मे 16 2011


शासनादेश संख्या -राजस्व क्र.मु.मा. -10 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वामियों और अन्य निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्राचय संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आगे उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्द्वारा दर्जित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतद्पश्चात् भूस्वामी कहा गया है) और:


राजिया लोगम


सप/प्रिचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात् क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सामेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका दिवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भूस्वामी अग्रोत्तर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित मूकद्ध कोई बात या भूवद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेंगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, बले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यान्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रिय निकाय/राज्य सरकार को (संयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चात्तवर्ती वर्षों के लिये 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसी भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी जित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके भाग धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।


राजेश खोसला


उप निदेशक
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



- (6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी सगरत शुल्क, जिसमें स्टाम्प शुल्क भी शामिल है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।
- (7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- (8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।
- (i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कथपूर्व व्यवहार करके सम्पादित कराया है।
- (ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
- (iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी ने नहीं है।

अनुसूची

ग्राम- फ़िरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

| खाता सं० | खसरा सं० | विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए) | भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में) | भूमि पर खड़ी फसल | |
|----------|----------|----------------------------------|---|--|------------------|--|
| | | | | | विवरण | मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में) |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 81 | 209 | 0.024 | - | 5,28,000.00 | - | - |

| भूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण | | देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9) | व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---|-----------------|------------------------------------|
| विवरण | मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में) | | नाम | पिता/पति का नाम | पता |
| 08 | 09 | 10 | 11 | | |
| - | - | 5,28,000.00 | राजेश शर्मा उर्फ राजेश शर्मा | नरेश | तरमा तरा खास बरुन किनाबारा अयोध्या |

शांति शांति शांति

उप निवेद
समोच्च विकास प्राधिकरण, अयोध्या



हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वरिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहस्वातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

| गाटा सं० | विक्रेता का नाम | पिता/पति का नाम | विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल | शपथकर्ता के हस्ताक्षर |
|----------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | राजिया बानो उर्फ राजिया बेगम | नूरुद्दीन | 0.024 | राजिया बेगम |

निष्पादन का दिनांक:-
स्थान - सोहावल, अयोध्या।


राजिया बेगम


उप सचिव
समग्र विकास प्रोत्साहन, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007457

विक्रय पत्र


बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6072

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 528000) स्टाम्प शुल्क- 36960) बाजारी मूल्य - 528000) पंजीकरण शुल्क - 5280) प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80) योग: 5360

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा
स्वर्जिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री शरद कुमार
व्यवसाय: नौकरी
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या




श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

स्वर्जिम राज अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 20/09/2023 एवं
05:48:42 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रार अफिसरी के हस्ताक्षर


राजेंद्र सिंह


उप निबंधक (सोहाबत)
अयोध्या

20/09/2023

निबंधक लिपिक

20/09/2023

प्रिंट करें



नोट :- मैने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

• भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

| क्र० सं० | नाम | पिता/पति का नाम | पता | हस्ताक्षर |
|----------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | राजेश्वर शर्मा अड्डा
राजिया: नेमन | नारायण | तरमा तरम खास बालन
फैजाबाद अयोध्या | राजेश्वर शर्मा |

गवाह / अभिसाक्षी

| नाम | पिता/पति का नाम | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता | हस्ताक्षर |
|-----------|--------------------|--------------|---------|----------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ओम प्रकाश | स्व० राजबली प्रसाद | 7607778903 | नौकरी | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। | |

गवाह / अभिसाक्षी

| नाम | पिता/पति का नाम | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता | हस्ताक्षर |
|------|-----------------|--------------|---------|--------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| आशिष | नारायण | 7398540506 | गृह | तरमा तरम खास बालन
फैजाबाद अयोध्या | श्री. आशिष |

क्रय निकट आर से
असिकृत,
(स्वर्णिम राज)
रुपसदिय
अयोध्या विकास प्राधिकरण,
अयोध्या।


राजेश्वर शर्मा

राजेश्वर शर्मा
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

वर्तन सं०।

रजिस्ट्रेशन सं०: 6072

वर्ष: 2023

निष्ठादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त विक्रेता: 1

श्रीमती राबिया बानो उर्फ राजिया बेगम, पत्नी श्री नौशाद

निवासी: तरमा तारम खास बारून फैजाबाद जिला अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी

श्रेता: 1

राबिया बेगम



श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्ठादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1




श्री जीम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2

जीम प्रकाश



श्री. आसिफ, पुत्र श्री नौशाद

निवासी: तरमा तारम खास बारून जिला अयोध्या

व्यवसाय: कृषि श्री. आसिफ



रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

राहुल सिंह

उप निबंधक : शोहाबत
अयोध्या

20/09/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या
20/09/2023

ने श्री प्रहलद भद्र साधिया के निश्चान अगुटे नियमानुसार लिए गए हैं।
दिपणी:

प्रिंट करें

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमति के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना म्गलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

| गाटा सं० | विक्रेता का नाम | पिता/पति का नाम | विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल | शपथकर्ता के हस्ताक्षर |
|----------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | राजिया बानो उर्फ राजिया बेगम | नौराद | 0.024 | राजिया बेगम |

निष्पादन का दिनांक:-

स्थान - सोहावल, अयोध्या।


राजिया बेगम


उपस्थित
अयोध्य विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904007457

दही संख्या 1 जिल्द संख्या 3133 के पृष्ठ 273 से 294 तक क्रमांक
6072 पर दिनांक 20/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर.


राहुल सिंह
उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
20/09/2023

